संघर्ष संवाद

जून 2013 नई दिल्ली

उत्तराखंड में आई भयावह त्रासदी पूरे देश के लिए चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। प्रकृति से निर्मम छेड़छाड़ और विकास के कारपोरेट-केन्द्रित ढाँचे के परिणामस्वरुप बरपा यह कहर अब तक सैंकड़ों गांवों का वजूद मिटा चुका है, हज़ारों लोग अब भी फंसे हुए हैं और जन-धन की कुल हानि का जायज़ा शायद कुछ हफ़्तों बाद ही लग पाएगा।

न सिर्फ मौजूदा आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह असफल रहा है, बल्कि इस त्रासदी के असल कारणों की पहचान और विकास के समूचे मॉडल पर पुनर्विचार की कोई मंशा भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। इसके उलट, केंद्र सरकार ने एक हज़ार करोड़ रूपए की राशि देकर वाहवाही लूट ली है जिसका इस्तेमाल उसी तरह के पुनर्विकास के लिए किया जाएगा जिसकी वजह से यह आपदा आई है।

सिर्फ उत्तराखंड में 500 बाँध प्रस्तावित हैं और इतनी ही संख्या में हिमाचल में भी।

सीमेंट फैक्टरियों, पावर प्लांट, होटल-रिजॉर्ट और अन्य प्रकृति-विरोधी परियोजनाओं का तो कोई हिसाब ही नहीं है|

देश के प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा मेगाप्रोजेक्टों और निवेश की धीमी रफ़्तार के लिए पर्यावरणीय कानूनों और सरोकारों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और इससे निबटने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय निवेश बोर्ड भी प्रस्तावित किया है जिसके तहत ऐसी परियोजनाएं निर्बाध लागू की जा सकेंगी। बड़ी परियोजनाओं, इनके लिए भारी मात्रा में बिजली और इन सब के लिए लोगों का विस्थापन और प्रकृति का विनाश हमारे देश के नीतितंत्र का अंधविश्वास बन चुका है। कुछ इसी तरह की तर्कपद्धति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसले में कूडनकुलम परियोजना को मंजूरी दे दी है। न्यायालय के अनुसार वृहत्तर जनहित में स्थानीय लोगों को अपनी आजीविका और सुरक्षा की कुरबानी देनी ही पड़ेगी।

आन्दोलनों, पर्यावरणीय सरोकारों और स्थानीय मुद्दों को विकास का दुश्मन मान कर उनकी खुलेआम अवहेलना करने का यह चलन हमें पोस्को से लेकर मारुति के मजदूर आन्दोलनों पर दमन तक में दिखाई देता है. मारुति-सुजुकी के मजदूरों की रिहाई-याचिका नामंजूर करते हुए अदालत ने कहा है कि मजदूर आन्दोलनों से देश की छवि खराब होगी और विदेशी निवेश बाधित होगा. न्यायालय समेत हमारी सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं विकास के नाम पर चल रही इस नृशंस नवउदारवादी मशीनरी की बंधक बन गयी हैं। साझा और जुझारू जनांदोलन ही एक विकल्प है।

हरियाणा

- प्रधानमंत्री हरियाणा में सूखी नहर के किनारे रखेंगे परमाणु आधारशिला
- मारुति सुजुकी मजदूरों का आंदोलन
- दमन और प्रतिरोध का एक साल : 18 जुलाई को चलो मानेसर

दिल्ली

- यह कैसी तरक्की है शोषण की ये चक्की है : दिल्ली मेट्रो रेल कामगार यूनियन
- लोअर सुकतेल: बर्बर दमन, बहादुराना प्रतिरोध और व्यापक समर्थन
- कला पर बंदिश के खिलाफ उठी आवाजें
- नया भू-अधिग्रहण कानून: आमूलचूल बदलाव या यथास्थिति

मध्य प्रदेश

- चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत
- संवेदनहीनता से उपजी संवादहीनता सरकार के लिए घातक

तमिलनाडु

- कुडनकुलम: सर्वोच्च न्यायालय में जनता की अवमानना

उत्तराखंड

- उत्तराखंड को बचाने की जद्दोजहद
- कोकाकोला संयंत्र: राष्ट्रीय हित में कारपोरेटी लूट को न्यौता

राजस्थान

- यह आत्महत्या नहीं, हत्या है : जाँच दल
- भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समीति के धरने के तीन वर्ष पूरे होने पर जनसभा

ओडिशा

- प्राकृतिक संसाधनों पर हक किसका ?
- नियमगिरी, सरकार और जनाक्रोश
- पोस्को के खिलाफ काला दिवस

अन्य

- राज्यपालों का बेगानापन

हरियाणा

प्रधानमंत्री हरियाणा में सूखी नहर के किनारे रखेंगे परमाणु आधारशिला

जिस नहर के पानी के सहारे ये रिएक्टर दिल्ली से महज एक सौ पचास किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है, उस नहर में पिछले अप्रैल माह में पन्द्रह दिन से बिल्कुल पानी नहीं रहा है. फतेहाबाद के गोरखपुर में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र की चारों यूनिटों के कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए विशेषज्ञों को अब पानी की चिंता सताने लगी है। कारण अभी हाल ही में कई दिनों तक भाखड़ा में पानी का बंद रहना विशेषज्ञों की चिंता बना है।

प्रधानमंत्री जी,रहिमन पानी राखिये !

जिस नहर के पानी के सहारे ये रिएक्टर् दिल्ली से महज एक सौ पचास किलोमीटर् दूर् लगाया जा रहा है, उस नहर में अप्रैल माह में बिल्कुल् पानी नहीं था। फ़तेहाबाद के सुभाष भाई से कल ही मुलाकात हुई. प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिये पानी रिएक्टरों के लिए कितना ज़रूरी होता है. प्रधानमन्त्री की आंखों में पानी न बचा हो तो भी यह देश चल ही जाता है. लेकिन रिएक्टर? फ़ुकुशिमा वालों से पूछिए !

यही वजह है कि संयंत्र विशेषज्ञ एक बार फिर नए सिरे से परमाणु संयंत्र के लिए पानी का विकल्प तलाशने में जुटे हैं। इससे पहले संयंत्र के लिए भाखड़ा नहर से पानी लेकर संयंत्र के कुलिंग सिस्टम को चलाए जाने के दावे किए जा रहे थे। जब से

प्रधानमंत्री रखेंगे फतेहाबाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला : दीपेंद्र

झज्जर, 25 अप्रैल (मनोज): कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फतेहाबाद के गोरखपुर में स्थापित होने वाले परमाणु आधारित बिजली संयंत्र की रूपरेखा तैयार है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ के जसौरखेड़ी गांव में स्थापित होने वाला ग्लोबल सैंटर फार न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह से परमाणु विज्ञान की यूनिवर्सिटी की तरह से काम करेगा। यहां दुनिया भर के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर परमाणु संबंधी रिसर्च करेंगे।

सांसद शुक्रवार को झज्जर के गांव सुर्खपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जयंती पर आयोजित कुश्ती दंगल के कार्यक्रम में शिरकत की। सांसद ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने बीते दिवस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी से भी मुलाकात की है। सांसद ने कहा कि प्रदेश की इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला को लेकर संसद के मौजूदा सत्र के बाद प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से आग्रह करेंगे। सांसद ने कहा कि जसौरखेड़ी में वैश्विक परमाणु ऊर्जा केंद्र एवं फतेहाबाद के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि 1500 मैगावाट का इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट शुक्रवार को केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इस अवसर पर पूर्व विधायक डा. वीरेंद्र पाल, रमेश वाल्मीकि, सुभाष गुर्जर, प्रदीप हुड्डा, विनायक कश्यप,महासिंह बिरधाना व कर्मबीर महाराणा सहित अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

भाखड़ा नहर बंद हुई है तब से विशेषज्ञों को सांसें अटकी हुई हैं। लोगों को पीने के पानी के लाले पड़े हैं, तो संयंत्र के कूलिंग सिस्टम के लिए पानी का इंतजाम कहां से होगा। अगर परमाणु संयंत्र के शुरू होने के बाद भाखड़ा में इस तरह की रुकावट आई तो संयंत्र के कुलिंग सिस्टम का क्या होगा। वहीं परमाणु संयंत्र विरोधी मोर्चा के डॉ. राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि संयंत्र के कुलिंग सिस्टम को 24 घंटे पूरी मात्रा में पानी न मिले तो सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। गौरतलब है कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र में 700 -700 मेगावाट की 4 यूनिट शुरू की जाएंगी। जिसके लिए मिट्टी की सैंपलिंग की जा रही है।

संयंत्र शुरू होने के बाद भाखड़ा से पानी नहीं मिला तो क्या होगा?

संयंत्र में 700 मेगावाट की 4 यूनिट तैयार की जाएगी। जिसके कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए लगातार 320 क्यूसिक पानी की जरूरत पड़ेगी।

मौजूदा समय में भाखड़ा नहर बीते 10 अप्रैल से बंद है। जिसमें गत 23 अप्रैल को पानी छोड़ा जाना था, जो अब 30 अप्रैल तक छोड़ा जाएगा। भाखड़ा नहर को तीन साल बाद साफ -सफाई के लिए 15 दिन के लिए बंद किया गया था, लेकिन काम पूरा न होने के कारण इसकी अवधि बढ़ा दी गई।

...तो जापान की तरह बेकाबू होंगे हालात

सीएनडीपी (कोअलिशन फॉर न्यूक्लीयर डिसारमामेंट एंड पीस) के रिसर्च स्कॉलर कुमार सुंदरम ने बताया कि अगर इस तरह से भाखड़ा नहर बंद होती रही या फिर प्राकृतिक आपदा के चलते नहर बंद हो जाए, तो परमाणु संयंत्र के कुलिंग सिस्टम को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि यह जरूरी है कि संयंत्र के कुलिंग सिस्टम को 24 घंटे निरंतर पानी की सप्लाई मिले। कुमार सुंदरम ने बताया कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसा कुलिंग सिस्टम के ठप होने की वजह से हुआ था। अगर गोरखपुर परमाणु संयंत्र की पानी सप्लाई बाधित हुई तो वही हाल यहां भी होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र के लिए लगातार कितने पानी की सप्लाई और कैसे की जाएगी।

अभी रिसर्च की जा रही है : टीआर अरोड़ा

गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत योजना निदेशक टीआर अरोड़ा ने बताया कि संयंत्र के कूलिंग सिस्टम के लिए हर समय 320 क्यूसिक पानी की जरूरत रहेगी। उन्होंने बताया कि भाखड़ा नहर के बंद होने के बाद पानी मिलना मुश्किल है। कूलिंग सिस्टम को निरंतर चालू रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है कि कूलिंग में कम से कम पानी कैसे लगे।

मारुति सुजुकी मजदूरों का आंदोलन

जब-जब दमन बढ़ता गया
तब-तब संघर्ष बढ़ता गया

एक बार फिर मारुति सुजुकी के संघर्षरत मजदूरों पर पूंजी की रक्षा में लगी हरियाणा पुलिस व प्रशासन ने दमन तेज कर दिया है। दमन की ताजा तरीन घटना को 19 मई को तब अंजाम दिया गया जब मारुति सुजुकी के संघर्षरत मजदूरों, उनके परिवार व गांव वाले, क्रांतिकारी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक संगठनों व ट्रेड यूनियन संगठनों के कार्यकर्ताओं व सदस्यों समेत लगभग 1500 लोग मारुति सुजुकी के मजदूरों व मजदूर संगठनों के नेताओं को रिहा करने की मांग के लिये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

गौरतलब है कि मारुति सुजुकी के मजदूर अपनी जायज मांगों (147 गिरफ्तार मजदूरों को रिहा करने फर्जी मुकदमें वापस लेने व बर्खास्त मजदूरों को काम पर रखने, ठेका प्रथा खत्म करने आदि।) को लेकर श्रम अधिकारी, श्रम मंत्री, हरियाणा व केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री (हरियाणा), प्रधानमंत्री (केंद्र सरकारद्) समेत देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्ञापन व अपील देने और हरियाणा व दिल्ली के विभिन्न स्थानों समेत देश के विभिन्न स्थानों पर 8 महिनों से प्रदर्शन करने के बाद भी कोई कार्रवाई ने होने पर 24 मार्च से कैथल में एस डी एम (मिनी सचिवालय) में धरने पर बैठ गये। उसके बाद 28 मार्च से मारुति के चार मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गये। इसी बीच मजदूरों ने व्यापक जन अभियान, जुलूस व प्रदर्शन किये। 6 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा से मुलाकात कराकर आश्वासन दिया कि वह बर्खास्त मजदूरों को वापस काम पर लेने के लिए श्रम अधिकारियों तथा मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से वार्ता करायेंगे।

आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई ने होने पर मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन ने 8 मई को 150 गांवों की पंचायतों के समर्थन से एक महापंचायत का आयोजन किया। जिसमें मारुति सुजुकी के संघर्षरत मजदूरों, उनके परिवार व गांव वाले, क्रांतिकारी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक संगठनों, स्वतंत्रा ट्रेड यूनियनों

व ट्रेड यूनियन सेंटरों के कार्यकर्ताओं व सदस्यों समेत लगभग 2000 लोगों ने भागीदारी की, जिसमें एस.डी.एम. के माध्यम से उद्योग मंत्री सुरजेवाला को चेतावनी दी गई कि यदि 18 मई तक मजदूरों की मांगों के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 19 मई को कैथल में सुरजेवाला के घर का घेराव का कार्यक्रम किया जायेगा।

18 मई तक कोई कार्रवाई न होने पर मजदूर 19 मई को घेराव की तैयारी कर रहे थे। कैथल में प्रशासन ने 18 मई को शाम पांच बजे से ही धारा 144 लगा दी। और रात 11.30 बजे श्यामवीर और दीपक (इंकलाबी मजदूर केंद्र), अमित (मजदूर संगठन के कार्यकर्ता और जे एन यू छात्रा), योगेश (मारुति कमेटी के सदस्य) समेत 100 मजदूरों को पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस के इस दमन के बावजूद मारुति सुजुकी वर्कस यूनियन के नेताओं, ग्रामीणों व मजदूर व प्रगतिशील संगठनों ने तय किया कि वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा बाधा खड़ी करके रोक लिया गया। प्रदर्शनकारी उसी स्थान पर बैठ गये। प्रदर्शनकारियों ने तय किया कि जब तक गिरफ्तार मजदूरों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जायेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। इस प्रदर्शन में मजदूरों के परिवार व गांव से बूढ़ी महिलाओं सहित ज्यादातर महिलाओं ने भागीदारी की। लगभग 5 घंटे बैठे रहने के बाद अचानक चेतावनी दिये बगैर पहले से तैनात वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और सैकड़ों की संख्या में तैनात पुलिस वालों ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया। पुलिस वालों ने बूढ़ी महिलाओं समेत किसी को भी नहीं बख्शा। पुलिस वालों ने कई लोगों को गिरा-गिरा कर पीटा। और पूरे प्रदर्शन को तितर-बितर कर दिया। कुछ समय बाद कुछ दूरी पर जब लोग दोबारा इकट्ठा हुए तो पुलिस ने गाड़ियों से आकर उन पर लाठी चार्ज किया। और प्रदर्शनकारियों को मार-मार कर भगा दिया। महिला प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उन्हें गालियां भी दीं। साथ ही उन पर लाठी चार्ज किया। इस पर वहां उपस्थिति महिला पुलिस अधिकारी ने अपने से बड़े अधिकारी को कहा कि जब आपने ही महिलाओं के साथ यह व्यवहार करना था तो हमे क्यों बुलाया गया। इस लाठी चार्ज में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं।

इस लाठी चार्ज में पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को नेतृत्व दे रहे मजदूरों और मजदूर संगठनों के नेताओं समेत 11प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें रामनिवास (कमेटी सदस्य), दीपक बख्शी (जनरल सेकरेटरी हिंदुस्तान मोटर्स संग्रामी श्रमिक कर्मचारी यूनियन), सोमनाथ (पत्रकार श्रमिक शक्ति), सुरेश कोठ (पंचायत नेता कोठ गांव), नितिश, (मारुति मजदूरों से कोई संबंध नहीं, बस स्टैंड से उठा लिया गया), मंगतू व प्रेमचंद शामिल हैं। उन पर गैर जमानती धारायें 148, 149, 188, 283, 332, 353, 186, 341, 307, (हत्या का प्रयास) प्च्ब्ए 3 व िच्छ्क्ए ज्च्क्।ए 8 छभ् हाइवे जाम करने और 25 ;54 और 59द्ध हथियार रखने जैसी संगीन नधारायें लगाई हैं जैसे कि यह किसी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आतंकी घटना को अंजाम देने आये हों। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को अदालत में पेश किया गया और इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत का आदेश हमारे देश की अदालतों की पक्षधरता को तय कर देता है कि वह किस तरह से मजदूर-मेहनतकशों की विरोधी हो चुकी है।

वैसे तो मारुति सुजुकी ;मानेसर प्लांटद्ध के मजदूरों का संघर्ष जून 2011 से ही अपने संवैधानिक अधिकार ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार से शुरु हुआ और कई चरणों के उतार-चढ़ाव से होते हुए मारुति में मजदूरों ने अपनी यूनियन मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया।

मारुति का मैनेजमेंट मारुति के मजदूरों के संघर्ष को कुचलने की शुरू से ही चालें चलता रहा है। यूनियन बनाने के बाद मैनेजमेंट मजदूरों की यूनियन को कुचलने की कोशिश करता रहा।

18 जुलाई को उसको मारुति के मजदूरों का दमन करने का मौका मिल गया। 18 जुलाई की घटना में मानेसर प्लांट में आग लग गई, जिसमें एच. आर. मैनेजर की मृत्यु हो गई। मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के मजदूरों को कहना है कि मारुति मैनेजरों ने फैक्टरी में बाउंसरों को बुलाया और एक योजना के तहत इस दुर्घटना को अंजाम दिया। मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन की लगातार यह मांग रही है कि इस घटना की सी.बी.आई. जांच कराई जाये परंतु सरकार ने उसकी मांग नहीं मानी।

18 जुलाई की घटना का मारुति सुजुकी मैनेजमेंट, हरियाणा सरकार व पुलिस प्रशासन ने पूरा इस्तेमाल किया। इस घटना का इल्जाम मजदूरों के ऊपर लगाकर मजदूरों पर दमन तेज कर दिया। मारुति के नेतृत्वकारी मजदूरों की धर पकड़ की गई और 147 मजदूरों के ऊपर संगीन धारायें लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया।

इन मजदूरों के साथ अमानवीयता की हदों को भी पार कर यातनायें दी गईं। 10 महीनों से बंद मजदूरों को अभी तक जमानत नहीं दी गई है। कई मजदूरों के परिजनों दादी, मां बेटी के मरने व पत्नियों के प्रसव पर उन्हें जमानत तो क्या पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया। यहां पर मैनेजमेंट, सरकार व पुलिस के साथ-साथ न्यायालय भी मजदूरों के

विरुद्ध खड़े हैं। कॉरपोरेट मीडिया की भूमिका तो हम 18 जुलाई की घटाना में ही देख चुके हैं। जब बिना किसी जांच पड़ताल के इन्होंने मजदूरों को हत्यारा घोषित कर दिया था। आज मजदूरों की स्थिति पर संघर्षों पर चुप रह कर वह पूंजीपति वर्ग के पक्ष खड़े होकर अपनी पक्षधरता जाहिर कर रहा है।

जेल के बाहर भी मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है, उनके ऊपर भी मैनेजमेंट, सरकार व पुलिस का दमन जारी है। 18 जुलाई की घटना के बाद, कंपनी ने लगभग 2500 स्थायी व ठेका मजदूरों को बिना किसी दोष के बर्खास्त कर दिया है। उनको व उनके परिवार वालों को अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता छोड़ने के लिए डराया-धमकाया गया और जेल में डालने की धमकी दी। आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाले साथियों को जेल में डाला जा रहा है। ईमान खान जो मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन की कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बनी प्रोविजनल कमेटी के सक्रिय सदस्य थे, को बाद में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका नाम एपफ.आई.आर., चार्जशीट या एस आई. टी. रिपोर्ट में नहीं था। उन पर भी वही संगीन धारायें लगाई हैं जो 147 मजदूरों पर लगाई गई थीं। इसके अलावा 65 अन्य मजदूरों के नाम पर गैर जमानती वारंट निकाले हुए हैं। यह सब मारुति के मजदूरों को नेतृत्व विहीन करने और संघर्ष को कुचलने के लिए किया गया है।

मारुति मैनेजमेंट, सरकार, पुलिस, न्यायालय कॉरपोरेट मीडिया के अघोषित गठजोड़ द्वारा मजदूरों के न्यायपूर्ण संघर्ष को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देश का पूंजीपति वर्ग मारुति मजदूरों के दमन से देश के मजदूरों और मजदूर संगठनों को यह संदेश दे रहा है कि पूंजी के मुनाफे में आने वाली हर रुकावट को वह कुचल कर समाप्त कर देगें। इसीलिए वह मारुति मजदूरों के मामले में अपने बनाये नियम-कानूनों को मानने को तैयार नहीं है।

मारुति मजदूरों ने अपनी एकता और जुझारू संघर्ष से देश के मजदूर आंदोलन में एक नई ऊर्जा पैदा की है। 10 महीने के कठोर दमन के बावजूद जेल में बंद व जेल से बाहर मजदूर एकता बनाये हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन की कमेटी के सभी मजदूरों की गिरफ्तारी के बाद वह मारुति सुजुकी वर्कस यूनियन की प्रोविजनल कमेटी बनाकर आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। इसके साथ ही देश के क्रांतिकारी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, ट्रेड यूनियन संगठनों, बुद्धजीवियों व आम जन से सहयोग व समर्थन प्राप्त कर संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं।

मारुति सुजुकी के मजदूरों और देश के क्रांतिकारी, प्रगतिशील ट्रेड यूनियन संगठनों, इंसाफ पसंद व्यक्तियों समेत सभी मजदूर-मेहनतकशों को मारुति के संघर्ष को तेजकर जीत हासिल करनी होगी। मारुति आंदोलन की जीत मजदूरों की एकता व जुझारू संघर्ष की एक मिसाल बनेगी और मजदूर आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करेगी। यह पूंजी की बेलगाम लूट पर रोक लगाने की शुरुआत होगी।

(साभार : समकालीन तीसरी दुनिया)

दमन और प्रतिरोध का एक साल : 18 जुलाई को चलो मानेसर

साथियों मारुती सुजुकी वर्कर्स युनियन की गुडगांव के हुडा सेक्टर 5 के ग्राउंड में वर्कर्स की जर्नल मीटिंग हुई जिसमें संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये रणनीती बनाई गयी।

यूनियन ने फैसला लिया कि आने वाली 18 जुलाई को विशाल जनसभा करने और आईएमटी मानेसर, गुडगांव में धरना लगायेगी। क्योंकि 18 जुलाई 2012 को कंपनी मेनेजमेंट के षड्यंत्र के तहत बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसके चलते कंपनी ने सारा दोष वर्कर्स पर लगाकर मजदूरों को बुरी तरह से फर्जी केसों में फसाया और हमारे 147 साथियों को जेल में डाल दिया, जिनको बेल भी नहीं दी जा रही है। हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। कैथल में चल रहे हमारे धरने को उद्योग मंत्री हरियाणा के इशारे पर पुलिस ने उखाड़ दिया तथा हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हमारे और हमारी फेमिली वालों पर लाठीचार्ज किया। अब हमने फैसला किया है कि अगर हमारी मांगों का सरकार समाधान नहीं करती है तो हम मानेसर में धरना लगायेंगे, फिर चाहे इसके लिये हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। साथियो हम सभी जनसंगठन, ट्रेड यूनियन, छात्र-युवा और किसानों से अपील करते हैं कि आप सभी 18 जुलाई 2013 को मानेसर आयें और इस न्याय के संघर्ष में हमारा साथ दें।

- मारूति सुजुकी वर्कर्स यूनियन।

दिल्ली

यह कैसी तरक्की है शोषण की ये चक्की है : दिल्ली मेट्रो रेल कामगार यूनियन

गुजरी 30 मई को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन व ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम क़ानूनों के गम्भीर उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कामगार यूनियन के बैनर तले सैंकड़ों मेट्रो कर्मियों ने जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन किया और डी.एम.आर.सी. प्रशासन का पुतला भी फूंका। मेट्रो प्रशासन और अनुबन्धित ठेका कम्पनियों की मिलीभगत के कारण ही यहाँ श्रम-क़ानूनों का पालन नहीं किया जाता जिसके चलते मेट्रो कर्मियों के हालात बदतर हो रहे है। मेट्रो प्रबंधन अगले महीने की पहली तारीख को कानूनों को ताक पर रखते हुए 250 मेट्रो मजदूरों को काम से निकाल रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंध्न की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कामगार यूनियन की अगुवाई में मेट्रो मजदूरों ने डी.एम.आर.सी. प्रशासन का पूतला फूंकने के बाद एक ज्ञापन केन्द्रीय श्रम-मंत्री, क्षेत्रिय श्रमायुक्त व मेट्रो प्रबन्ध्क मंगू सिंह को सौंपा।

मेट्रो को दिल्ली की शान कहा जाता है और यह सच भी है कि मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए एक सुविधजनक परिवहन है। लेकिन इस मेट्रो में हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए स्वयं मेट्रो प्रबंधन का रवैया असुविधाजनक रहता है। मेट्रो के सपफाई कर्मचारी हों, गार्ड, या टाम आपरेटर हों, सभी के कानूनी हकों का नंगा उल्लंघन होता है। मेट्रो रेल में टोकन देने काम कराने वाली ट्रिग कम्पनी का ठेका 1 जून, 2013 को डी.एम.आर.सी से समाप्त हो रहा है। ऐसे में आर.के. आश्रम से द्वारका मेट्रो स्टेशन तक टोकन देने का काम करने वाले 250 टाम आपरेटर को भी मेट्रो रेल प्रबंध्न काम से निकाल रहा है। जबकि मुख्य नियोक्ता होने के कारण डी.एम.आर.सी को इन मेट्रो कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो रेल में सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, ई.एस.आई., पी.एफ. आदि श्रम-कानूनों को भी लागू नहीं किया जा रहा है।

मेट्रो प्रबंध्क और अन्य मंत्रियों को सौंपे गये ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगे है-

- ठेका कम्पनी ट्रिग द्वारा निकाले गये सभी मजदूरों को काम पर वापस लिया जाये।

- ठेका कम्पनी के टेण्डर समाप्त होने पर भी कार्यरत कर्मचारियों को बहाल किया जाये।
- ठेका कानून (नियमिकरण और उन्मूलन) 1970 को लागू कर कर्मचारियों की स्थायी नियमित सुनिश्चित की जाये और सभी श्रम कानून को सख्ती से लागू किया जाये।

मेट्रो मजदूर लम्बे समय से डीएमआरसी और ठेका कंपनियों की मिलीभगत के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए क़ानून का सहारा लेते हुए डीएमआरकेयू सभी मेट्रो मजदूरों की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर रहा है जिसके तहत स्थाई प्रकृति के काम में ठेका मज़दूरों को रखना क़ानूनन गलत होगा। इस प्रदर्शन में दिशा छात्र संगठन की और से नुक्कड़ नाटक मशीन का मंचन किया गया। मजदूरों की ज़िन्दगी को हाल बयां करने और उसे बदलने के रास्ते को बताने वाला नाटक मेट्रो मजदूरों की ज़िन्दगी की भी कहानी बयां करता है। कई जन संगठन, यूनियन और मजदूर कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान दिशा छात्र संगठन के सनी, नौजवान भारत सभा के योगेश और करावल नगर मजदूर यूनियन के नवीन ने भी बात रखी।

लोअर सुकतेल: बर्बर दमन, बहादुराना प्रतिरोध और व्यापक समर्थन

गुजरी 7 मई को दिल्ली के उड़ीसा भवन पर आज सामाजिक संगठनों, कार्यकर्त्ताओं और छात्र-नौजवानों ने बलांगीर जिले के मगुरबेडा गांव में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर चल रहे बर्बर पुलिसिया दमन और किसानों की जबरन भूमि कब्जाने की सरकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में ममता दास ने कहा कि उड़ीसा पुलिस द्वारा 29 अप्रैल, 2013 को लोअर सुकतेल का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया गया. इस कतिलाना हमले में कई महिला-बच्चें-बुजर्ग घायल हुए हैं. विजय प्रताप, मिनती दास, आदि वक्तओं ने बर्बर पुलिसिया दमन का विरोध करते हुए मांग कि, की दोषी अधिकारियों के विरोध में कठोर कार्यवाही हो, गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा किया जाय. साथ ही, किसानों की जबरन कब्जा कि जा रही ज़मीन पर रोक लगाई जाये.उड़ीसा भवन के सामने ग्रामीणों को प्रताडित करने और आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा करने के खिलाफ नारे लगाए और उड़ीसा के अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त (Assistant Resident Commissioner) ने भवन के मुख्या द्वार पर आकार प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया, जिसे उनकी उपस्थिति में पढकर सबके सामने सुनाया गया.

ममता दास ने प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उड़ीसा के बलांगीर जिले के मगुरबेडा गांव में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा की गई बरबर्ता और ज्यादती का हम विरोध करते हैं, जो उड़ीसा पुलिस द्वारा 29 अप्रैल, 2013 को निर्दोष लोगों के खिलाफ की गई। शांत प्रदर्शन पर बरबर्ता पूर्वक की गई इस पुलिसिया लाठीचार्ज की कार्यवाही में 40 लोगों को गंभीर चोटे आईं । हम इस पुलिस कार्यवाही का खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किए जाएं।

हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने इस मामले को एक नाटकीय अंदाज में तीव्र विरोध (झड़प) का रूप दे दिया और महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा गया और जमीन पर फेंक दिया गया। पुलिस ने इनके साथ मारपीट की और अपने पैरों से इनके

शरीर और गुप्तांगों को चोटे पहुंचाईं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया मानों यह सब पेशेवर अपराधी हों।

इस बात का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता है क्योंकि पुलिस की इस बरबरतापूर्ण कार्यवाही के लिए राज्य ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उड़ीसा सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि लोअर सुकतेल क्षेत्र को एक युद्ध क्षेत्र में क्यों तबदील कर दिया गया ? जबकि वहां लोग एकजुट होकर शांतिपूर्वक आपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कुसूर इतना ही था कि वे शांतिपूर्वक एकजुट होकर केवल अपनी आवाज को जबरदस्ती किए जा रहे निर्माण कार्य के खिलाफ बुलंद कर रहे थे। वे उस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे जिसे विशेषज्ञों द्वारा अन्यायापूर्ण घोषित किया जा चुका है।

मिनती दास ने कहा कि पत्रकार एवं फिल्मकार अमिताभ पात्रा ने जब इस पुलिसिया कार्यवाही को अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो उनको निशाना बनाकर 8-10 पुलिसवालों ने हमला किया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई जिसमें उनके चेहरे और सर पर चोटे लगी। पुलिस ने पात्रा के दोनों कैमरों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हे तोड़ दिया । जबकि पात्रा कई घंटो तक बेहोश पड़े रहे। यहां यह प्रश्न उठता है कि उड़ीसा पुलिस को क्या हक है कि वह किसी फिल्मकार को फिल्म बनाने से रोके। उड़ीसा पुलिस को किस कानून के तहत यह अधिकार

मिल गया कि वह फिल्मकार के साथ बरबर्तापूर्ण व्यवहार करे और उनके सर को इस तरह चोट पहुंचाए, जबकि पात्रा केवल इस कार्यवाही के एक गवाह थे और प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे। वह तो केवल वही शूट कर रहे थे जो वहां हो रहा था।

करीब 16 लोगों (जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं) को घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें उड़ीसा के सम्मानित एवं प्रसिद्ध कवि और ओडिया जनरल के संपादक निशान और स्वयं अमिताभ पात्रा भी शामिल हैं।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प पिछले बीस दिनों से लगातार हो रही थी। लगभग हर दिन पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर रही थी। प्रदर्शनकारियों से गाली गलौज और शारीरिक तौर पर उनको नुकसान पहुंचाना पुलिस की आदत बन चुकी थी। पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान 100 से भी अधिक लोग पुलिस की लाठी का शिकार बन चुके थे और राज्य पुलिस द्वारा पीटे जा चुके थे। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से पिछले दस सालों से लोअर सुकतेल प्रोजेक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी के साधन छीने जाने और विस्थापन के विरोध में हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 56 गांव से भी अधिक गांवों को शामिल किया गया है। यहां पीड़ितों को विास्थापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अपने कीमती भविष्य से हाथ धो बैठने की समस्या का खतारा उनके सामने बना हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस प्रोजेक्ट को राज्य द्वारा लंबे समय से छोड़ा हुआ था क्योंकि यह 1979 में मूल रूप से सामने आया था जिसकी जड़े गंधमारदन हिल्स के बालको के खनन से जुड़ती नजर आती हैं। लोअर सुकतेल का पानी खनन कंपनी को दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनेक रिसर्च संगठनों और मानवाधिकार संगठनों के द्वारा आलोचना होती रही है। इनमें यूएनडीपी की अनिता अग्निहोत्री द्वारा किया गया अध्ययन-2008 गौर करने योग्य है। प्रोजेक्ट को अवैध घोषित करने के लिए लाभ की तुलना में इसका न्यायोचित न होना यह टिप्पणी ही काफी है और यह सुझाव दिया गया है कि इस महंगे प्रोजेक्ट का विकल्प पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सरकार की द्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया जो उसने डीपीआर प्रोजेक्ट-डिटेल पब्लिक रिपोर्ट को बनाने से मना करने में दी।

वर्तमान में प्रोजेक्ट को लेकर निर्माण में की जा रही जल्दबाजी का संबंध गंधमारदन हिल्स की विभिन्न खनन कंपनियों से जुड़ता है। इस नवीन रुचि के पीछे वोट की राजनीति भी गतिशील है क्योंकि 2014 में चुनाव होने वाले हैं।

प्रजातांत्रिक राज्य में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जा सकता है। उड़ीसा सरकार को कुछ प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। इसे क्या कहा जाएगा जब लोग नारों और एकजुटता के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हों और पुलिस बरबर्ता दिखाए? मागुरबेडा में आम नागरिक और आंदोलनकारियों को क्यों निशाना बनाय गया?

राज्य सरकार को हमेशा यह याद रखने की जरूरत है कि लोगों को विरोध करने का और अपनी समस्याओं को रखने का संवैधानिक अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नागरिकों के यह अधिकार नहीं छीन सकती है। समय आ गया है कि राज्य और पुलिस को इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

हम मांग करते हैं कि:

- जिन लोगों को 29 अप्रैल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले बनाए गए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना शर्त और तुरंत रिहा किया जाए।
- प्रशासन को ईमानदारी के साथ विस्थापित होने वाले गांवों के साथ बातचीत करनी चाहिए और घायलों के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।
- बलांगीर के एसपी को 29 अप्रैल की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
- लोअर सुकतेल क्षेत्र से पुलिस को तुरंत हटाया जाना चाहिए।
- उड़ीसा सरकार और पुलिस को 29 अप्रैल को घायल हुए और गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों से माफी मांगनी चाहिए।
- लोअर सुकतेल क्षेत्र के निवासियों पर 2005 से लेकर अब तक लगाए गए सभी मामले वापस लिए जाने चाहिए।

कला पर बंदिश के खिलाफ उठी आवाजें

झूठे मुकदमे में फंसाए गए 'कबीर कला मंच' की कलाकारों की रिहाई की मांग को लेकर 2 मई को श्रीराम सेंटर-मंडी हाउस से संगवारी, संगठन, द ग्रुप (जन संस्कृति मंच) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के बैनर तले दिल्ली के साहित्यकार-संस्कृतिकर्मियों, गायकों, चित्रकारों, फिल्मकारों, रंगकर्मियों, गायकों, पत्रकारों, छात्रों और बुद्धिजीवियों ने एक प्रतिवाद मार्च निकाला, जो महाराष्ट्र सदन पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। संस्कृतिकर्मियों की ओर से चित्रकार अशोक भौमिक, फिल्मकार संजय काक, कवि नीलाभ, आलोचक आशुतोष और अध्यापक उमा गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री नाम वहां की सरकार के प्रतिनिधि को एक मांगपत्र दिया, जिसमें कबीर कला मंच के कलाकारों- शीतल साठे और सचिन माली तथा मराठी पत्रिका के संपादक सुधीर ढवले पर लादे गए फर्जी मुकदमे को खत्म करने तथा उन्हें अविलंब रिहा करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि संस्कृतिकर्मियों पर आतंकवादी या माओवादी होने का आरोप लगाकर उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बाधित न किया जाए और उनके परिजनों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए।

संस्कृतिकर्मियों-बुद्धिजीवियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। संस्कृतिकर्मियों-कलाकारों और छात्र-बुद्धिजीवियों ने अगले कदम के रूप में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कलाकारों और बुद्धिजीवियों की रिहाई के लिए देश भर से हस्ताक्षरित अपील करने का निर्णय किया है। मांगपत्र देने के बाद फिल्मकार संजय काक ने कहा कि सरकार इस भ्रम में न रहे कि अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने से कलाकारों की आवाजें बंद हो जाएंगी, कल तक कबीर कला मंच के कलाकारों को पुणे और महाराष्ट्र के लोग जानते थे, आज उनकी आवाज पूरे देश में पहुँच रही है। हममें से कोई डरा-सहमा नहीं है, बल्कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे।

ज्ञात हो कि पिछले दो साल से महाराष्ट्र में कबीर कला मंच के संस्कृतिकर्मियों पर लगातार दमन जारी

है। कबीर कला मंच के जिन सदस्यों को मई 2011 में माओवादी होने का आरोप लगाकर दमनकारी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें हाल में जमानत मिली और हाल ही में विगत 2 अप्रैल को इस मंच के कलाकार शीतल साठे और सचिन माले को भी उसी तरह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दोनों ने इस आरोप से इनकार किया है और खुद को बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और भगतसिंह के विचारों का अनुयायी बताया है।

प्रतिवाद मार्च की शुरुआत 'पलटन' के कलाकारों ने भगत सिंह तुम जिंदा हो गीत को गाते हुए की। यह वही गीत है जो शीतल साठे की आवाज में काफी मकबूल हुआ है। मार्च और सभा में अस्मिता, संगवारी और इप्टा के कलाकारों ने अपने जनगीतों के जरिए संस्कृतिकर्मियों पर हो रहे हमलों का मुखर प्रतिवाद किया। नारे लगाते और हाथों में कलाकारों के दमन को बंद करने और उन्हें रिहा करने की मांग वाले प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारी महाराष्ट्र सदन पहुंचे, जहां उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद उन्हांेने वहीं सभा की। सभा को संबोधित करते हुए कथाकार-पत्रकार नूर जहीर ने कहा कि सरकारें जनता से कट चुकी हैं, इसलिए वे जनता का साथ देने वाले कलाकारों का दमन करने पर उतारू हैं। कवि नीलाभ ने कहा कि दमन दरअसल पूरी जनता पर हो रहा है और हमें हर दमन का प्रतिरोध करना होगा। रेखा अवस्थी ने जनवादी लेखक संघ की ओर से इस लड़ाई का समर्थन किया।

अशोक भौमिक ने कहा कि जो स्थितियां इस देश में बन रही है, उसमें कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को जनता के पक्ष में बड़ी भूमिका निभानी होगी और इस दौरान दमनकारी व्यवस्था से बार-बार टकराना होगा। ऐपवा की राष्ट्रीय सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कष्ट झेल रही जनता का उपहास उड़ाने वाले अपने मंत्रियों की जबान पर तो अंकुश नहीं लगाती, पर शीतल साठे की आवाज पर रोक लगाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। कबीर कला मंच के कलाकारों की आवाज जनता को पसंद है, पर जनविरोधी राज्य मशीनरी को उनकी आवाज खतरनाक लग रही है, इसलिए आज यह बेहद जरूरी है कि इस तरह की आवाजें ज्यादा से ज्यादा तेज हों। सभा को आइसा के संदीप और रंगकर्मी लोकेश जैन ने भी संबोधित किया।

प्रतिवाद मार्च और सभा में प्रो. चमनलाल, रंगकर्मी अरविंद गौड़, संगठन के रविप्रकाश, संगवारी के कपिल शर्मा, द ग्रुप के संजय जोशी, संहति के असित दास, छात्र नेता संदीप सिंह, फिल्मकार अजय भारद्वाज, आलोचक गोपाल प्रधान, वैभव सिंह, पत्रकार अंजनी, शिवदास, राधिका मेनन, पर्णल चिरमुले आदि भी शामिल थे। संचालन अवधेश, सुधीर सुमन और संजय जोशी ने किया।

नया भू-अधिग्रहण कानून: आमूलचूल बदलाव या यथास्थिति

गुजरी एक मई को नयी दिल्ली में एक विशेष बैठक में, भू अर्जन व पुनर्वास के मुद्दे पर लाए जा रहे नए कानून के परिप्रेक्ष में यह यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया की :-

जब की 1884 का साम्राज्यवादी, शासकीय सम्प्रभुतावादी, भू अर्जन कानून में बुनियादी बदलाव लाना ही नहीं, उसे ख़ारिज करने की भी हम बेहद ज़रूरत मानते हैं,

- जब की देशभर, कोने कोने में, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र में आज जल, जंगल, जमीन, खनिज, मछली आदि पर जन अधिकार और विकास नियोजन में जनता की प्राथमिक सहभागिता के लिए सशक्त जन संघर्ष, आंदोलन ज़रुरी है,

- जब की इसी परिप्रेक्ष में एक नयी राष्ट्रीय नीति एवं बिल लाने की कोशिश केंद्र सरकारों से 1998, 2001, 2003, 2007 से आज तक जारी है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार से नया बिल पर सहमति हो गयी हो गई है कहते हुए राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ संवाद से लेकर लोकसभा, राज्य सभा के सामने रखा जा रहा है

तब हम सब यह आग्रह रखते हैं की:-

- कोई भी नया कानून, ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का अधिकार और इनका समान न्यायपूर्ण बटवारा लाने की दिशा में ही ज़रुरी है|
- इस नए बिल में सार्वजनिक हित की परिभाषा के साथ कुछ मुद्दे 1894 से भी बद्दतर है और लोक विरोधी है| सार्वजनिक हित की परियोजना में निजी उद्योग, परियोजना को लाने की बात हम धिक्कारते हैं|
- हम मानते है की ज़मीन और संसाधनों पर ग्राम सभा / शहरों में बस्ती सभा का अधिकार और उनकी सहमती के बिना कोई शासकीय या निजी परियोजना न हो|
- खेती की ज़मीन गैर खेती के लिए हस्तांतरित करने पर रोक हो|
- ज़मीन का बटवारा जो बसे हैं उनकी आजीविका, आवास का अधिकार मानकर (जैसा की आज के कई कानूनों में प्रस्तावित प्रावधान है) उन्ही को सही जीवनयापन/ आवास के लिए दी जाये. उनका पहला अधिकार न्यूनतम ज़रूरत पूर्ति के लिए माना जाये|
- सार्वजनिक सम्पदा (common property rights) पर समाज / समुदाय का मालिकाना हक बरक़रार रहे और उनके किसी भी अप्रियोजना के लिए हो रहे / होने वाले उपयोग के बारे में उनकी सहमति बुनियादी शर्त मानी जाये |
- निजी परियोजना के या पी पी पी के लिए कोई जबरन भू अर्जन शासन के द्वारा न हो|
- पुनर्वास की परिभाषा तथा आर्थिक, सामाजिक विकल्प देकर पुनर्स्थापना ही हो इसीलिए केवल नगद पैसा ही नहीं, वैकल्पिक जीवन यापन के साधन के साथ पुनर्स्थापन की शर्त हर शासकीय या निजी परियोजना में हो|
- आज लाये जा रहे विधेयक में केवल नगद मुवावजा देकर अधिकतर विस्थापन की योजना है जिसे हम नकारते हैं|
- यह बिल स्थायी समिति - लोक सभा के अहवाल में खेती की ज़मीन अर्जित न करने की सिफारिश स्पष्ट होते हुए भी उसे सम्मिलित नहीं करना आदि को हम नकारते हैं| आज अन्न–सुरक्षा के ज़रुरी है की खेती की बर्वादी रोकी जाये |
- यह नया कानून केवल तीन राष्ट्रीय कानूनों के लिए ही लागू करना (Defence, Cantonment, SEZ), धोखाधड़ी है, देश के राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तर के सभी कानून जिनके तहत भू अर्जन होना है, उन्हें सम्मिलित करके ही लाया जाए.
- शहरों के लिए हम अलग से कानून की मांग करते है.
- विकल्प्-आकलन के आधार् पर न्योनतम या शून्य विस्थापन ही किया जाए
- आपात्कालीन प्रावधान सिर्फ़ अपरिहार्य स्थितियों में लागू होना चाहिए.
- पुनर्स्थापन और् पुनर्वास के अन्तर्गत प्रति परिवार एक वैकल्पिक जीविका-स्रोत का भी प्रावधान होना चाहिये, जिसे सारे विस्थापित् लोगों पर और पहले विस्थापित हओ चुके लोगोन् पर भी लागू किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश

चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत

चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ चुटका व आसपास के गांवों की आदिवासी जनता द्वारा चलाए जा रहे जुझारू संघर्ष और तमाम जनपक्षधर संगठनों के सक्रीय समर्थन व प्रयासों से उभरे जबरदस्त जन-उभार के आगे सरकार ने घुटने टेकते हुए 24 मई 2013 को तय की गई जन-सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए रद्द करना पड़ा।

ध्यान दें कि चुटका परमाणु संघर्ष समीति के नेतृत्व में इस परियोजना को निरस्त करने की मांग कर रहे स्थानीय नागरिकों ने पहले ही इस जन-सुनवाई के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। इसके बावजूद 23 मई को देर शाम तक इस जन-सुनवाई को करवाने के लिए सरकार पूरे ताम-झाम से तैयारी कर रही थी यहां तक कि जिस गाँव में पानी, शौचालय, बिजली व आवागमन के साधन भी नहीं हैं वहां सरकार ने जनसुनवाई के लिए लाखों रूपए खर्च कर एक टेंट लगाया जिसमे कई शौचालय, हाथ धोने के लिए वाश बेसिन, पंखे यहां तक कि आला अधिकारियों के लिए कूलर लगे थे। यही नही, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (NPCIL) ने स्थानीय जनता को बहकाने के लिए मिठाइयां बांटी व दुष्प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद जनता चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ अपने दृढ फैसले से नही डिगी। बरगी बांध द्वारा हुए विस्थापन और इसके खिलाफ लम्बे संघर्ष की चेतना से यहां के आदिवासी नागरिक यह समझ चुके हैं कि उनके संसाधनों को लूटने का सिलसिला सरकार कभी भी बंद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए नहीं बल्कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों और उनके विदेशी आकाओं के लिए काम करती है। अगर बात सिर्फ आम जनता के लिए और अधिक बिजली उत्पादन की होती तो ढेरों अन्य सुरक्षित प्राकृतिक विकल्प मौजूद है उनपर विचार किया जाता, न की विकसित देशों द्वारा नकारी जा चुकी परमाणु ऊर्जा पर।

इसके अलावा, चुटका में जारी संघर्ष को मजबूत करने के लिए भोपाल और देश के अन्य हिस्सों से आए अनेक जन-संगठनों के साथियों पिछले एक हफ्ते से जबलपुर के कई हिस्सों और चुटका व आसपास के अनेक गांवों में नाभिकीय ऊर्जा के खतरों के बावजूद सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में जबरदस्ती थोपे जा रहे इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ जनचेतना जागरण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। आखिरकार लोगों के आक्रोश

और बढ़ते प्रतिरोध से घबरा कर सरकार ने जन-सुनवाई को स्थगित करते हुए रातो-रात सुनवाई के तमाशे के लिए लगाए गए शामियाने को हटाने का काम शुरु कर दिया। सरकार के खिलाफ इस जीत से उत्साहित आस-पास के दो हजार आदिवासियों और अन्य साथियों ने 24 मई को विजय-रैली निकाली और जन-सभा कर के यह ऐलान कर दिया वो इस परमाणु संयंत्र को नही लगने देंगे।

इस जन-सभा के माध्यम से लोगों ने अपनी निम्न मांगो को फिर से दुहरा कर सरकार को चेताया कि इन्हे लागू करे अन्यथा व्यापक आक्रोश के उभार को वह रोक नही पाएगी –

- चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित अन्य सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को तत्काल रद्द किया जाए;
- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए और सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर सुरक्षित तरीके से हटाया जाए;
- युरेनियम खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए;
- परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित हर जानकारी को सार्वजनिक किया जाए;
- वर्तमान ऊर्जा उत्पादन के अनावश्यक व विलासितापूर्ण उपभोग पर रोक लगाई जाए और ऊर्जा के समतामूलक वितरण व उपयोग की व्यवस्था की जाए; और
- प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा विकल्पों को बिना किसी भी तरह की मुनाफाखोरी या व्यवसायीकरण के जन-भागीदारीपूर्ण तरीकों से विकसित किया जाए।

[चुटका परमाणु संघर्ष समीति; गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (म.प्र.); जन संघर्ष मोर्चा (म.प्र.); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (म.प्र.); भारत की कम्युनिस्ट पार्टी – मार्क्सवादी-लेनिनवादी (म.प्र.); पीपल्स इनिशियेटिव अगेंस्ट न्युक्लियर पावर; ऑल इण्डिया स्टुडेंट्स फेडेरेशन (म.प्र.); क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा (म.प्र.); अखिल भारतीय क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन (म.प्र.); गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, भोपाल; मध्य प्रदेश महिला मंच; शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल; वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल वॉयलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन (म.प्र.)]

संवेदनहीनता से उपजी संवादहीनता सरकार के लिए घातक

माधुरी बहिन गत 17 मई से 31 मई तक खरगौन जेल में बन्द रहीं। उन्होंने जेल जाते समय कहा कि वे गुलाम भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, ऐसा कोई कार्य जिन्होंने नहीं किया, इसको लेकर वे जमानत दें। माधुरी जी का आचरण राष्ट्रीय आंदोलन की याद दिलाता है जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के लिये सत्याग्रह करते थे तथा गिरफ्तार किये जाने पर जमानत लेने से इन्कार कर देते थे। माधुरी बहिन पर दमनात्मक कार्यवाहियों को उद्घालित करता डॉ सुनीलम का महत्वपूर्ण आलेख;

मनरेगा में भ्रष्टाचार, खारग नदी परियोजना में पुर्नवास के मुद्दों पर जागृत आदिवासी दलित संगठन के संघर्ष को कुचलने तथा संगठन द्वारा बड़वानी जिले की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर इन्दौर उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका लगाये जाने से झुझलाये प्रशासन ने माधुरी बहिन को खात्मा पेश करने बावजूद साजिशपूर्ण तरीके से दोषी कंपाउंडर के बयान करवाकर जेल को भिजवा दिया।

12 नवम्बर 2008 को बनिया बाई प्रसव हेतु पी.एच.सी. मेली माता हेतु सुसर द्वारा लाया गया था, भर्ती करने के लिए कम्पाउण्डर ने पैसे की मांग की, पैसे नही देने पर बड़वानी अस्पताल ले जाने को

कहकर अस्पताल से बाहर कर दिया, जहां बनीया बाई ने बच्चे को सड़क पर जन्म दिया, वहां से निकल रही माधुरी बहिन ने एम्बुलेंस रोककर महिला को बड़वानी जिला चिकित्सालय भिजवाया। कम्पाउण्डर ने पुलिस रिपोर्ट की, जिसमें 06 आदिवासी दलित जागृत संगठन के कार्यकताओं पर 353, 323, 147, 427 आई.पी.सी. 34 मध्यप्रदेश चिकित्सा अधिनियम 2008 के तहत अपराध क्रमांक 93/08 पंजीबद्ध कर, दो जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं को दिसम्बर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया।

11 दिसम्बर 2012 को इन्दौर के पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपियों के विरूद्ध दोष एवं पर्याप्त साक्ष्य का अभाव होना पाया गया। अतः 18 दिसम्बर 2011 को खत्मा तैयार मंजूरी के लिए थाना सिलावड के उपनिरीक्षक एवं अनुसंधान कर्ता राजीव उइके ने न्यायिक दण्डाधिकारी वड़वानी के समक्ष अपना खात्मा पेश किया। 17 मई को माधुरी बहिन को खात्मा स्वीकार करने की बजाय न्यायालय ने जमानत के अभाव में माधुरी बहिन को 30 मई तक के लिये जेल भेज दिया। जेल भेजने का कारण 5 मार्च 2013 को सीजीएम बड़वानी द्वारा कम्पाण्डर का बयान दर्ज कराना था, जिसके आधार पर न्यायालय ने खात्मा स्वीकार करने की बजाय प्रकरण आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनन्दन झा के प्रकरण में 1969 में स्पष्ट कर दिया था कि खात्मा पेश होने पर न्यायालय के सामने तीन ही विकल्प हैं, या तो न्यायालय खात्मा स्वीकार करे अथवा संतुष्ट न होने पर 156/3 के तहत आगे बढ़े या अनुसंधानकर्ता को विस्तृत जांच कर पूरक चालान पेश करने का आदेश दे। लेकिन कहीं भी कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि अभियोगी का बयान दर्ज कर उसका संज्ञान लेकर खात्मा स्वीकार न किया जाय। न्यायालय के फैसले के विरोध में 21 मई 2013 को 10 हजार आदिवासियों ने बड़वानी में रैली निकालकर माधुरी बहिन को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। प्रदेश भर के जन संगठनों ने रैली को सम्बोधित कर अपना विरोध प्रकट किया। आदिवासी जिलाधीश को कारण बताओं नोटिस देना चाहते थे, लेकिन जिलाधीश ने साफ तौर कार्यक्रम स्थल पर आकर आदिवासियों से मिलने से इंकार कर दिया, जब हजारों आदिवासी दिनभर इंतजार के बाद तीन किलोमीटर दूर जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे तब रैली को बेरीकेट लगाकर कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। यह पूरा वाक़या मंगलवार के दिन हुआ, जो दिन पूरे प्रदेश के लिए जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है। 10 हजार आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं था। पिछले महीने में मुझे तीन बार ऐसे ही अनुभव हुए हैं। जबलपुर स्थित संभागीय कमिश्नर कार्यालय में 2000 से अधिक किसान संघर्ष समिति के किसानों और आदिवासियों के पहुंचने के बावजूद उनसे संभागीय आयुक्त द्वारा मुलाकात नहीं की गयी। वे शासन द्वारा दी गयी शासकीय भूमि से खदेड़े जाने के विरोधम में सिर छुपाने की जगह मांगने कटनी से चलकर जबलपुर आये थे।

इसी तरह का अनुभव बैतूल कलक्ट्रेट में सेमझीरा के देहगुड बांध क्षेत्र के डूब प्रभावित किसानों के साथ हुआ जब कलेक्टर ने पीड़ित किसानों से मिलने से इन्कार कर दिया तथा जिस डिप्टी कलेक्टर के कमरे में किसान घुस गये तथा उससे पूछा कि एक कटहल के पेड़ का सौ रुपये मुआवजा मिलना तथा कुएं का 20,000 रुपये मुआवजा मिलना कितना औचित्यपूर्ण है जब कपिल धारा योजना के तहत शासन द्वारा 1,73,000 रुपये का भुगतान स्वयं शासन द्वारा किया जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि जो अवार्ड में लिख दिया गया वही अंतिम है। कुछ करना चाहते हैं तो न्यायालय जाइये। यही स्थिति मुलताई तथा बैतूल दौरे के समय मुख्यमंत्री की दिखायी पड़ी। दोनों कार्यक्रमों के दौरान सैकड़ों किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लेकिन मुख्यमंत्री ज्ञापन देने तक से इन्कार कर दिया।

चुटका परियोजना को लेकर 24 मई को आयोजित जनसुनवाई केवल इसलिए रद्द कर दी गयी क्योंकि विस्थापित होने वाले किसान अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते थे। इस तरह स्पष्ट तौर पर यह देखने में आ रहा है कि सरकार तथा प्रशासन के मुखिया किसी भी मुद्दे पर आमजन के साथ संवाद करने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ जन सुनवाई नाम पर शासन द्वारा करोड़ों रूपये खर्च किया जाता है, दूसरी ओर प्रशासन की रूचि जनता के साथ किसी स्तर पर संवाद करने में नहीं है। जन सुनवाई सरकारी नौटंकी बनकर रह गयी है।

नागरिक हैं, ऐसा कोई कार्य जिन्होंने नहीं किया, इसको लेकर वे जमानत दें। माधुरी जी का आचरण राष्ट्रीय आंदोलन की याद दिलाता है जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के लिये सत्याग्रह करते थे तथा गिरफ्तार किये जाने पर जमानत लेने से इन्कार कर देते थे।

इस प्रकरण में कम्पाउण्डर को जेल भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से बनीया बाई सड़क पर बच्चा जन्मने के लिए मजबूर हुयी थी। कम से कम इस घटना के तत्काल बाद मेनीमाता पीएचसी में महिला डाक्टर तैनात किया जाना चाहिए था तथा शासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये माधुरी बहन का नागरिक अभिनन्दन कर उन्हें उत्कृष्ट नागरिक घोषित कियाजाना चाहिए था लेकिन उसकी जगह माधुरी बहिन को जेल क्यों भेज दिया गया? यह सवाल बड़वानी म.प्र. एवं देश के जागरूक नागरिकों के मन में है। जो कानून के साथ-साथ न्याय सिद्धान्त में भरोसा रखते हैं। सब कुछ हुआ अदालत में, लेकिन फर्जी एफ.आई.आर. तथा प्रशासन द्वारा राजनैतिक आकाओं के इशारे पर न्यायालय में दिलाये गये बयान के आधार पर हुआ।

असल में भा.ज.पा. सरकार माधुरी द्वारा मनरेगा में चार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों से तिलमिलाई हुई है। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने जब 24 पंचायतों की मजदूरों को भुगतान न किये जाने का हिसाब मांगा, तब हिसाब देने के बजाय प्रशासन ने विधायक के नेतृत्व में रेली निकाली गई। संगठन लोक सेवा गांरटी में भ्रष्टाचार जिले में डाक्टरों की कमी जैसे मुद्दों को सतत उठाता रहा है। संगठन ने खारग नदी परियोजना के तहत सात गॉव के बिना पुर्नवास नीति लागू किये, 218 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को भी चुनौती दी है। इसी तरह संगठन की ओर से एडवोकेट शन्नो खान द्वारा 27 जून 2011 को बड़वानी जिले में डाक्टरों की कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को लेकर जनहित याचिका लगायी गयी जिसके आधार पर लगातार उच्च न्यायालय स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के निर्देश दे रहा है। लेकिन संगठन द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को हल करने की बजाय, संगठन को नक्सली साबित करने में प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बड़वानी क्षेत्र में किसी भी नक्सली गतिविधि होने से इंकार किया है, लेकिन प्रशासन माधुरी बहिन और संगठन को नक्सली घोषित करने पर अमादा है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह छिन्दवाड़ा को भू-अधिग्रहण के खिलाफ किसान आन्दोलन तथा किसान संघर्ष समिति को कुचलने के लिये नक्सली जिला घोषित किया गया उसी तरह जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार तथा आदिवासी अस्मिता के आन्दोलन को कुचलने के लिये बड़वानी को शीघ्र ही नक्सली क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

21 मई को मैने बड़वानी में नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेत्री चित्ररूपा पालित जो खरगोन एवं खंडवा में सक्रिय हैं तथा केसला होशंगाबाद की समाजवादी जन परिषद की गुनिया बाई को देखा तब मुझे याद आया कि मेरे सहित सभी जन संगठनों के नेताओं पर नक्सली होने का आरोप गत 25 वर्षो से लगातार सरकारों द्वारा लगाया जाता रहा है हालांकि सभी संगठनों द्वारा तथ्य पेश करने की चुनौती देने पर सरकार मुंह छुपाती दिखलाई पड़ी है, लेकिन कुत्ते की पूछ टेड़ी की टेड़ी बनी हुई है।

बनीया बाई के प्रकरण ने जननी सुरक्षा योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना की कलई खोल दी है। आये दिन समय से वाहन उपलब्ध न होने तथा डॉक्टर उपलब्ध न होने के चलते अस्पताल के बार प्रसव की घटनायें अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। कल भी खण्डवा में अस्पताल में भर्ती न किये जाने के कारण एक मुस्लिम महिला फहमीदा का प्रसव पेड़ के नीचे होने तथा नवजात की मौत होने की खबर छपी है, जिससे साफ है कि सरकार की प्राथमिकता वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने की जगह केवल विज्ञापन छपवाने में है। हाल ही में महालेखाकार की रिपोर्ट भी अखबारों में छपी है जिसमें स्पष्ट आंकड़ों के साथ 39 जिलों में मनरेगा में अनिमितताओं के तथ्य उजागर किये गये हैं लेकिन सरकार हर तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने पर आमादा है।

तमिलनाडु

कुडनकुलम: सर्वोच्च न्यायालय में जनता की अवमानना

अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे देश के लोगों का इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाना निर्थक है। और यह कहा जा सकता है कि अदालत खुद भी इसी सिस्टम का हिस्स है जो आकांशओं और वंचित जन समुदाय और 'व्यापक जनहित' की मुख्य अवधारणा के बीच बढ़ती खाई को पाटने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय के समक्ष याचना करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और लोगों को विकाश की विनाशक अवधारणा जो विकसित हो रही के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पी.के. सुंदरम का महत्वपूर्ण आलेख;

कुडनकुलम मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारतीय इतिहास में नर्मदा बांध पर आए निर्णय और इसी प्रकार के अन्य निर्णयों की सूची में शामिल किया जा सकता है। आजादी के बाद से ही देश के जनतंत्र में व्यापक जनहित, विकास/ ग्रोथ और देश हितों की संकीर्ण परिभाषा के द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित रखने का प्रयास किया गया है।

किसका हित बड़ा है?

जब चेन्नई के पर्यावरणवादी संगठन पूवुलाजिन ननबरगल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें विशेष तौर पर सुरक्षा से संबंधित खतरों को उठाया गया था और यह भी इंगित किया गया था कि प्रोजेक्ट की स्थापना में किस तरह सरकार द्वारा खुद अपने बनाए निमयों की अनदेखी की जा रही है। सवोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि देश को विकास करने के लिए परमाणु उर्जा की जरूरत है। जजों ने याचिकाकर्ता की मांग के परे जाकर यह साबित करने का प्रयास किया है कि परमाणु ऊर्जा देश के विकास के लिए जरूरी है और लोगों में खतरे की भावना को खारिज कर दिया। अदालत ने यहां तक कह दिया कि देश के व्यापक हित के प्रोजेक्ट में 'छोटी परेशानियां' तो आती ही हैं।

अदालत के फैसले का दूसरा पैराग्राफ लोगों को कुडनकुलम में आंदोलन के लिए खुद उकसा रहा है और भावनात्मक प्रतिक्रया रिक्टर की स्थापना के विरोध में पैदा हो गई है। फैसले में कहा गया है कि यह बात बनावटी है कि रिएक्ट से लोगों को खतरा और डर महसूस हो रहा है। यह नहीं सोचा जा रहा जब एनरिको फर्मी ने पहले परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की थी। जब से अदालत ने यह बात कही है लोगों में एक प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई है और वह अब भी विरोध कर रहे हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है जब संविधान का निर्माण किया गया है। क्या इस आधार पर यह सुझाया जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा भारत के लिए लाभ का सौदा है?

यह निर्णय भारत में निसंदेह परमाणु रिक्टर की स्थापना और परमाणु ऊर्जा का समर्थन करता हैः

- फैसले में एटॉमिक एनर्जी कमीशन (एईसी) की प्रशंसा की गई है और परमाणु के बारे में इसे पूरी तरह निर्णय लेने वाला माना है और एटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एईआरबी) को कंपीटेंट रेगुलेटर माना है जो एईसी पर फंड और मानव संसाधन के लिए निर्भर करता है। और इसे एईसी को रिपोर्ट करने का कार्य को सराहा है जिसके क्रियाकलापों को पूरा करना अनिवार्य है।
- यह निर्णय परमाणु ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति के प्रति भी पूरी तरह विश्वास व्यक्त करता है कि देश में मौजूदा ढ़ांचा हर प्रकार के रेडिएशन को रोकने में सक्षम है।
- शीर्षक 'राष्ट्रीय नीति' (पेज 9 के तहत निर्णय में कहा गया है कि भारत में 20 परमाणु ऊर्जा स्टेशनों से पिछले चार दशकों से 4780 मेगावाट बिजली का उत्पादन रोजाना किया जा रहा है और इस दौरान कोई बड़ा हादसा देखने में नही आया है। निस्संदेह परमाणु उर्जा ने इस दौरान बड़ा रोल निभाया है इसी शिर्षक से पेज- 10पर कहा गया है कि रिन्युबल ऊर्जा स्रोतों के

द्वारा बहुत छोटा सा हिस्सा ही ऊर्जा का पूरा किया गया है जो कुल बिजली उत्दान का मात्र 15 प्रतिशत है। जो वास्तव में परमाणु ऊर्जा का 6 गुना है।

- परमाणु उर्जा के विश्व परिदृश्य में फुकुशिमा में अचानक हुए परमाणु हादसे का जिक्र नहीं किया गया है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में फ्रांस का उत्पादन- 74.6प्रतिशत, अमेरिका के 104 रिएक्टर हैं जबकि विश्व में कुल 439 वर्ष 2007 तक थे जिनसे कुल ऊर्जा का 13-14 प्रतिशत पैदा होता था। सच्चाई यह है कि वर्ष 2011 तक उत्पादन घटकर 11 प्रतिशत रह गया और यह गिरावट लगातार जारी है। अधिकतर रिएक्टर अपने अंत की ओर हैं और बहुत ही कम नए रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है।
- इसके बावजूद एनपीसीआईएल के इस दावे को लेकर कोई सवाल नहीं किए गए जिसमें वर्ष 2020 तक 20 हजार मेगावाट और वर्ष 2030 तक 63 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का दावा किया गया है।
- फैसले में कहा गया कि परमाणु ऊर्जा का समर्थन करने का एक कारण यह है कि यह ऊर्जा का वैकल्पिक रूप है और स्वच्छ ,सुरक्षित, टिकाउ और मजबूत ऊर्जा का स्रोत है। इसके द्वारा कोल, गैस, तेल आदि ऊर्जा स्रोतों को बदला जा सकता है। जजों को इसकी कोई परवाह नहीं कि जो बाते परमाणु ऊर्जा के बारे में कही जा रही हैं वह सभी सवालों के घेरे में हैं जिनपर राष्ट्रीय नीति में विचार करने की जरूरत है। फ्रांस की बात करें तो वहां भी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को लेकर एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है।

याचिका में सवाल किया गया था कुडनकुलम में रिएक्टर को लेकर तकनीकि समस्याएं हैं, इस पर अदालत ने सरकारी विशेषज्ञों- न्युक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड के अधिकारियों से पूछताछ की। दुर्भाग्य से भारत में परमाणु ऊर्जा के विषय में स्वतंत्र संस्थागत विशेषज्ञता डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में नहीं हैं। इस स्थिति में जजों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वे उन्ही अधिकारियों पर भरोसा करे जो याचिका में बताए गए खतरे का विरोध कर रहे थे उनकी बात को स्वीकार करे। इस तरह यह पूरी प्रक्रिया ही पहली ही नजर में एक तरफा दिखाई देती है। जजों के पास अब भी मौका है कि नियमों के उल्लंघनों और खतरों को कुडनकुलम रिएक्टर से जोड़कर फिर से देखे ।

जिओ पोडोल्सक द्वारा घटिया क्वालिटी के उपकरणों की सप्लाई किया जाना बहुत गंभीर मामला है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन का उल्लंघन और पर्यावरणीय प्रभावों के नियम, फ्यूल स्टोरेज को लेकर नियमों का स्पष्ट न होना, एईआरबी द्वारा नियमों का पूर्ण पालन न कर बिना मॉक ड्रिल के नो कंपलेन का प्रमाण पत्र देना, आस पास में निवास करने वाली बड़ी आबादी के साथ आवश्यक समझौते आदि। क्या इसे इस रूप में न्यायोचित ठहराया जा सकता है ?

अदालत एक राजनीतिक समझौते को मान्यता दे रही है?

अदालत के फैसले में कहा गया है कि भारत द्वारा अमेरिका से 2005 में और फ्रांस से 2008 में और 2010 में किए गए सिविल परमाणु समझौते भारत सरकार के प्रयासों का नतीजा है जो उसने 'विकास के लिए राष्ट्रीय नीति' के तहत अनेक द्विवपक्षीय संधियों और समझौतों के तहत किए हैं और जो अनुभवों और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यह एक खुला हुआ तथ्य है कि परमाणु समझौते के लिए अमेरिका द्वारा पहल की गई थी और ऊर्जा की आवश्यकता को बाद में कुचक्र के द्वारा न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया गया। द इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी-2006 भी अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते के एक वर्ष के बाद आई। भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थापना की खबर जब 2005 में आई कि अमेरिका के साथ मिलकर यह रिएक्टर लगाया जा रहा है तो यह हैरान करने वाली थी। यह डील आवश्यक बन गई थी यूएस मैनोइयुरिंग इंटरनेयशनल इंस्टीट्यूशन नियमों के दबाव के चलते और एनएसजी और आईएईए द्वारा भारतीय परमाणु हथियारों को वैद्यता दिलाने और भारत का प्रवेश ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय कामर्स में सुनिष्चित करने के लिए। भारत पर अमेरिका, फ्रांस और रूस की ओर से यह दबाव लगातार बनाया जा रहा था कि भारत में परमाणु रिएक्टर ही उसके लिए एक विकल्प है। पूर्व एईसी चेयरमैन अनिल कोकाडकर ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि परमाणु रिएक्टरों का आयात

जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है, परमाणु रिएक्टर की स्थापना इन देशों के हित में है।

परमाणु ऊर्जा और राष्ट्रीय नीति

भारत की परमाणु ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति की विस्तार से प्रशंसा करने के बाद जजों ने कहा कि अदालत यह नहीं सोचती कि नीति को हूबहू स्वीकार किया जाए या किसी नीति को मान्यता देने के लिए निर्णय दिया जाए, यह ठीक है (पेज-13)। ठीक अदालत के सामने याचिका चीखकर कह रही थी कि उचित विचार विमर्श की जरूरत है या परमाणु नीति की जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है यदि पूरा देश एक है। याचिका में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी का मामला उठाया गया है। इसके बावजूद भी जजों ने क्यों परमाणु ऊर्जा को ग्रीन, साफ सुथरी और भारत के विकास के लिए जरूरी करार दिया? जजों ने लंदन के एक पुराने केस को कोट करते हुए कहा कि हम यहां फैसले पर फैसला करने के लिए नहीं बैठ सकते ....इंडो रूसी समझौते की रौशनी में जो कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर के लिए किया गया।

यह मान लेंते है, लेकिन क्या भारत सरकार और रूसी सरकार के बीच हुआ समझौता सुनिश्चत करता है कि पूरी तरह नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी निभाई जाएगी और भूमि-कानून को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रारंभिक भाग में दो हिस्से हैं। पहला एनपीपी की सुरक्षा और बचाव, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों, केकेएनपीपी प्रोजेक्ट, एनएसएफ और इसके प्रबंधन और परिवहन, डीजीआर, सिविल जिम्मेदारियों, डीएमए, सीएसए और अन्य इससे जुड़े मामलों की बात करता है। जबकि दूसरे हिस्से में पर्यावरणीय समस्याएं, सीआरजी, वनों की कटाई, ईको सिस्टम पर रेडिएशन के प्रभाव, विशेषज्ञों की राय आदि पर बात करता है।

पहले हिस्से में इस निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रोजेक्ट में पर्याप्त सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है। इसलिए एईआरबी के सुरक्षा कोड्स का विस्तार से वर्णन किया गया है।(पूरे 12 पेज में) । इसकी संस्थानिक स्वायत्ता पर कोई सवाल किए बगैर या एईआरबी पर कैग् की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया गया है जिसमें इसकी स्वतंत्रता और क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए थे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं और आईएईए के सुरक्षा नियमों के पालन के विस्तार को लेकर कई पेज में दिए गए है। आईएईए की 2008 की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि वर्ष 2050 तक बिजली की आपूर्ति तीन गुना बढ़ जाएगी, इस बात को जजों ने खास तौर पर जोर दिया है। आईएईए द्वारा यह भी दावा किया गया है कि परमाणु ऊर्जा को अपनाना निस्संदेह एक लो कार्बन उर्जा को अपनाना है।

निर्णय में इस परियोजना के प्रति विष्वास जताया गया है ''एईआरबी द्वारा अपनाए गए सुरक्षा और बचाव के कोड और आईएईए और इसका समर्थन उस डर को कम करता है जो कई सैक्टरों के द्वारा सुरक्षा और बचाव को लेकर केकेएनपीपी पर सवाल किए जा रहे थे''।

जजों ने यह भी इंगित किया है कि पीयूसीएल बनाम भारत सरकार और अन्य मामले 2004 में कोर्ट एईसी डील के संवेदनषील होने को स्वीकार करता है। इस डील पर गोपनीयता का परदा पड़ा हुआ है जबकि सिविलियन और सैनिक परमाणु सुविधाएं दोनों अपने आप में अलग हैं और इस बात को भारत- अमेरिका समझौते में भी दर्षाया गया है।

सुरक्षा के मुद्दे

कुडनकुलम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के बाद सुरक्षा का मुद्दा एईआरबी या एनपीसीआईएल द्वारा अपनाई गई सुरक्षा नीति से अलग नहीं है। सुरक्षा मानकों को अपनाए जाने के दावों को लेकर विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत ही कम यह दिशानिर्देष पर्याप्त रूप सुरक्षा को लेकर आंदोलनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब दे पाने में सक्षम है । इसके बावजूद यह एक जनतांत्रिक प्रकिया के तहत है।

दूसरे भाग में ''केकेएनपीपी प्रोजेक्ट'' शीर्षक के तहत जजों ने कुडनकुलम में साइट सलेक्शन प्रक्रिया को लिया है और यह देखने का प्रयास किया है कि यह प्रोजेक्ट कितना कमजोर है। जज इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि कुडनकुलम प्रोजेक्ट रिएक्टर लगाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जजों ने माना कि यहां किसी भूकंप, सुनामी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का डर नहीं है। जबकि याचिका में इस बात के सबूत पेश किए गए थे कि यह क्षेत्र जियोलॉजिकली अस्थिर है और यहां भूकंप का एक

इतिहास रहा है और ज्वालामुखी और कार्स्ट के कारण यहां खतरा बना रहता है।

सबसे अधिक ध्यान स्पैन्ट न्यूक्लीयर फ्यूल (एसएनएफ) के सुरक्षित भंडारण और एक डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटेरी (डीजीआर) की कुडनकुलम क्षेत्र में तलाश के काम पर दिए जाने की है। यह सामान्य समस्याएं हैं जो पूरे विश्व में जहां कहीं भी परमाणु रिएक्टर लगे हैं सामने आती हैं और परमाणु उद्योग अनेक दशकों से इस समस्या का समाधान खोजने के लिए संघर्ष करता रहा है। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है इसका प्रोगात्मक और रेडीमेट समाधान प्रस्तुत किया गया है। एनपीसीआईएल परमाणु कचरे के संचयन के लिए रिपोजेटरी तलाषने के लिए तैयार है, जिसमें वह लंबे समय तक परमाणु कचरे का संचयन कर सकेगा और यही भरोसा उसने कोर्ट को भी दिलाया है जिससे कोर्ट सहमत भी है। द एईआरबी के कोड 'मैनेजमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट' पर लंबी चर्चा की गई है इसकी राह में अनेक समस्याएं हैं। भारतीय परमाणु स्थापनाओं में परमाणु कचरे को कचरे के रूप में नहीं पहचाना गया है क्योंकि यह दावा किया गया है कि इसको रिप्रोसेस कर इसको उपयोग मे लिया जा सकेगा इस पर भी जजों ने संतोष जताया है। जबकि वास्तविकता यह है कि रिप्रोसेसिंग का कार्य और भी नुकसानदायक है और लंबे समय के लिए कचरा पैदा होता है यदि यह कहां जाए कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम वास्तविकता से बहुत दूर है तो गलत न होगा। जजों ने कहा है कि ''विशेषज्ञों का मानना है कि डीजीआर की स्थापना कोई तकनीकि चुनौती नहीं है....लेकिन यह सामाजिक-राजनीतिक समस्या अधिक है''। सबसे अधिक प्रतावित वेस्ट रिपोजेटरीज अमेरिका में हैं जहां इन्हें स्वीकृति नहीं मिली है और जहां कहीं भी विषेषज्ञ स्वतंत्र हैं वहीं इसको स्वीकृति नहीं मिल सकी। अदालत के निर्णय में कहा गया है कि कर्नाटक के कोलार माइन के बंजर भूभाग पर एक डीजीआर प्रस्तावित है। वास्तव में जहां इस मामले को लेकर अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं वहीं एनपीसीआईएल प्रचार के काम में लगी है और अदालत में शपथ पत्र दिया है अपने ही मुकदमें में जो 6 महीने से चल रहा है।

जजों का मानना है कि कुडनकुलम रिएक्टर अपने कचरे का संचयन कर सकता है जिसकी क्षमता सात साल तक की है। एसईपी की मौजूदगी से रिएक्टर में जटिलाएं पैदा हो सकती हैं और दुर्घटना भी घट सकती है जैसे जापान के फुकुशिमा में हुआ था और इस घटना को मेंशन नहीं किया गया है।

फुकूशिमा कभी नहीं होगा!

जबकि जजों ने फुकूशिमा की घटना के बाद सुरक्षा जांच की बात कही जो प्रधान मंत्री के आदेश पर की गई तो इस बारे में तो वे पूरी प्रक्रिया की आलोचना करने में असमर्थ रहे, आंतरिक सुरक्षा को लेकर जोखिम उठाया गया और बिना किसी स्वतंत्र जांच या मूल्यांकन के इसे किया गया। कुडनकुलम पर 17 सिफारिशों पर कोर्ट को भरोसा है कि इन्हें एईआरबी और एनपीसीआईएल पूरी तरह से लागू कर लेगें। निर्णय के इस पैरा में रेडिएशन की लोरी में तुक से तुक मिलाने का काम किया गया हैः कि हम अपने रोजाना के जीवन में रेडिएशन से रूबरू होते रहते हैं जैसे-कॉस्मिक रेडिएशन, अर्थ क्रस्ट का रेडिएशन, वायु में यात्रा, एक्स-रे, सीटी स्केन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि।

दूसरे शीर्षक 'रेस्पोन्स टू प्युपल्स रजिस्टेंस' कोर्ट ने समझदारी भरा सरकारी वक्तव्य दिया है लोगों से बात किए जाने का। इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया है कि सरकार द्वारा नियुक्त 15 सदस्यों की समिति ने इदिनताकारी में आंदोलन कर रहे लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं समझी और उनके साथ सुरक्षा दस्तावेजों को साझा करने से इंकार कर दिया और आंदोलन द्वारा उठाए गए सवालों का जबाव दे पाने मे नाकाम साबित हुए। इसके बाद भी लोगों से बातचीत की बात कितनी शर्मनाक है। राज्य सरकार ने आंदोनकारियों पर झूठे पुलिस केस लगा रखे हैं स्थानीय कांग्रेस के गुंडे आंदोलकारियों को मारते पीटते हैं लोकल मीडिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। किसी को भी स्थानीय लोगों के संघर्ष की परवाह नहीं है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि सरकारी विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष संतोषजनक हैं। इस तथ्य के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि पूर्व एईसी चीफ जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, के कारण लगातार विवाद पैदा होते रहे।

'सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लीयर डेमेज' नाम के शीर्षक में कहा गया है कि परमाणु सैक्टर में कड़ी जिम्मेदारी खास है लेकिन कुडनकुलम की खास समस्या पर जिम्मेदारी के मामले पर कुछ नहीं कहा

गया। रूसी अधिकारियों द्वारा दावा किया गया है कि वे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त हैं।

आपदा प्रबंधन योजना पर विचार करते हुए अदालन के निर्णय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। जिसमें आपदा की स्थिति में रेडियोलॉजिकल एमरजेंसी और एनडीएमए व डीएई के बीच बेहतर तालमेल से काम करने की बात कही गई है। सबसे अधिक जोर जिस बात पर दिया गया है वह है परमाणु दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही है और आपदा प्रबंधन की जांच को लेकर कोई ध्यन नहीं दिया जा रहा है।

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एईआरबी के नियमों का संदर्भ दिया गया है जिसके तहत रिएक्टर से 1.5 किमी के दायरे में कोई आबादी या आवास नहीं होना चाहिए। जबकि कुडनकुलम में सुनामी कालोनी के बारे में यह नियम लागू नहीं होता जो रिएक्ट के स्थान से मात्र 700 मीटर की दूरी पर बसी हुई है और इसमें करीब 2500 लोग रह रहे हैं। निर्णय में यह भी कहा गया है कि ईपीपी के तहत रिएक्टर के पांच किमी के दायरे में 24000 से अधिक लोग नहीं रहने चाहिए और इसे 'स्टेरेलाइस्ड जोन कहा जाए। जबकि नियम के अनुसार 20000 से अधिक लोग नहीं रहने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आंकड़ा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर लिया है न कि 2011 की जनगणना के आधार पर ।

अदालत ने यह भी माना कि माकड्रिल का अभ्यास समय-समय पर किया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास हो सके लेकिन हैरत है कि मॉकड्रिल लोगों को शिक्षित करने के लिए किए गए न कि उन्हे अपना बचाव करना सिखाने के लिए। लोगों को बताया गया कि प्रोजेक्ट नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है, जिसकी प्रकृति सहभागी है और हम परमाणु देशों से कटकर नहीं रह सकते हैं' यह सब जनता का समर्थन रिएक्टर को स्थापित करने के लिए किया गया। अदालत को भरोसा है कि जिला प्रशासन द्वारा ऑफ साइट आपात अभ्यास का जो शपथ पत्र दिया गया है वह सच्चाई के करीब है।

अदालत के फैसले के पहले हिस्से के अंतिम पैरा में जजों द्वारा कहा गया है कि अदालत को भरोसा है कि एनपीसीआईएल अपने कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी-सीएसआर को निभाएगी। कई मिलियन रुपये स्कूल की इमारतों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य पर खर्च के लिए जारी किए जा चुके हैं। तारापुर से रावतभाटा और इसके पास के कलपक्कम के स्थानीय लोग इस तरह के वादों की हकीकत को खूब देख चुके हैं।

अदालती फैसले का दूसरा हिस्सा पर्यावरणीय प्रभावों पर केंद्रित है, इसमें कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा को लेकर नेशनल पॉलिसी में पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है यह भी कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा भारत के आर्थिक विकास में खास स्थान रखती है, यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

निर्णय के इस हिस्से में दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस को विस्तार पूर्वक स्थान दिया गया है। लेकिन सरकार के पक्ष से ही अदालत ने सहमति जताई है जिसमें कहा गया है कि कुडनकुलम प्रोजेक्ट में किसी प्रकार के पर्यावरणीय इंपेक्ट एसेसमेंट गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया गया है प्रोजेक्ट 1988 में नोटिफाई किया गया था। और 1994 में ईआईए की मांग पर इसका अधिनियमन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को एनपीसीआईएल द्वारा दिया गया बेमानी शपथ पत्र और एमओईएफ अधिक उचित प्रतीत हुआ। अदालत ने इस बात की भी चर्चा फैसले में की है कि कुडनकुलम में पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला दिया गया है, 1989 के एमओईएफ के मेमोरेंडम, मंजूरी के लिए एईआरबी द्वारा 1989 में आवश्यक शर्त के साथ अनुबंध, और 6 सितंबर 2001 का एमओईएफ का पत्र जो नियमों के उल्लंघन को न्यायिक ठहराता है जिसके तहत 377.30 करोड़ प्रोजेक्ट पर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। अदालत ने माना कि पर्यावरणीय प्रभावों पर पूरा ध्यान दिया गया है और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है नही ईआईए के अनुबंधों की अनदेखी की गई है। ईआईए रिपोर्ट में कुडनकुलम में चार और रिएक्टर लगाए जाने की सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि एक और दो बेस लाईन पर बिना किसी जनसुनवाई के तैयार किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह आपत्ति के योग्य नहीं लगा।

दो करीबी बांधों से रिएक्टर के लिए पानी लाए जाने की योजना को विकसित किया जा रहा है। साल

2006 में कुडनकुलम में डिसेलिनेशन (विलवणीकरण) प्लांट शूरू किया गया था । याचिका में यह प्रशन उठाया गया था कि डिसेलिनेशन (विलवणीकरण) प्लांट के अपने पर्यावरणीय खतरे हैं, इससे प्रदूषण और बढ़ेगा इसके लिए ईआईए से नए सिरे से स्वीकृति ली जानी चाहिए। इस पर अदालत ने अपने फैसने में कहा है कि डिसेलिनेषन (विलवणीकरण) प्लांट ईआईए के 1994 के अनुबंधों के आधार पर सूची में शामिल नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए अलग से ईआईए द्वारा पर्यावरणीय मूल्यांकल किए जाने की जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका में उठाई गई आपत्तियों जो सीआरजेड मंजूरी और टीएनपीसीबी द्वारा बाद में दी गई वैधता जो कुडनकुलम के पनी में बढ़ रहे तापमान से संबंधित थी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। निर्णय के 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंपेक्ट ऑन द इको सिस्टम' शीर्षक में रोले कमीशन ऑन एनवायरमेंट पॉलूशन (यूके-1971), स्टॉकहोम कॉनफ्रेंस (1972),यूएनजीए वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर (1982), रिजो सम्मिट (1992),द यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन ऑफ 2000, यूएन कानफ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलि डेवलेपमेंट (जून 2012) और अन्यों को कोट किया गया है। लेकिन केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि ''इस तरह हम यह पाते हैं कि केकेएनपीपी की स्थाना को लेकर पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल विकास की कसौटी पर कसा जा चुका है। पर्यावरण और इकोतंत्र पर पड़ने वाले सभी प्रभावों का अध्ययन किया जा चुका है और इसके जिए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सिद्वांतों का पालन किया जा रहा है।

व्यापक जनहित

जजों ने अपने फैसले में कहा है कि ''आसपास रहने वाले लोगों के साथ बहुत थोड़ी ज्यादती हुई है बहुत थोड़े से नियमों का उल्लंघन हुआ है। संविधान के आर्टिकल-21 द्वारा उन्हें जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन लोगों को ऊर्जा के उत्पादन को वर्यीता देना चाहिए जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इससें गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी और रोजगार आदि के अवसर मुहैया होंगे। अपने फैसले में अदालत ने इससे पूर्व के कई अन्य विकास प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया जिनको लेकर विरोध हुआ था और इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण और जीवन के अधिकार के आधार पर और आर्थिक वैज्ञानिक लाभ और बहुत कम हानिकार रेडिएशन के आधार पर तुलना करने पर इस प्रोजेक्ट के सही मकसद तक पहुंचा जा सकता है। विकास की पूर्वनिर्धारित धारणा अदालत का सख्त होना और वस्तुनिष्ठ होना और जल्दबाजी में अदालत व्याकरण की के आधार पर एक विवेकहीन कथन दे डाला-'' समुदाय के व्यापक हित के लिए मानव अधिकार के उल्लंघन की व्यक्तिगत आषंका को रास्ता देना चाहिए। जबकि संविधान के आर्टिकल-21 के तहत जीने का अधिकार प्राप्त है।'' हम जजों की व्याकरणीय गलती को नजरअंदाज भी कर दे तो भी यह सवाल अपनी जगह रह जाता है कि उन लोगों का क्या जो कुडनकुलम में पिछले 25 सालों से शातिपूर्वक विरोध जताते आ रहे हैं व्यक्तिगत आशंका के रूप में ? कौन बड़ा समुदाय है? क्या किसानों के हित, मछुआरों के हित और भारत के गरीबों के हित व्यापक जनहित में शामिल नहीं हैं?

इससे भी आगे जाते हुए जजों ने कहा कि रेडिएशन के खतरे की जो आशंका जताइ जा रही है वह निराधार है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि इस संसार में कोई भी आदमी यह नहीं बता सकता कि भविश्य में क्या होने वाला है। एक बड़े क्षेत्र में हम लोग भाग्य के सहारे हैं ....

किसी बात की आशंका के पूर्वाभास से चिंतित होना या डरना, एक डर के पूर्वाभाष से प्रभावित होना भी हर व्यक्ति के लिए अलग बात है। अदालत ने विशेषज्ञों की राय का हवला देते हुए कहा कि एमओईएफ, ईएसी, टीएनपीसीबी, आईओएम, आईईएल, एनईईआरआई आदि सभी की रिपोर्ट प्रोजेक्ट के पक्ष में है। और यह सभी संगठन इस बात पर एक मत हैं कि कुडनकुलम प्रोजेक्ट सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह से संतोषजनक हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपनी प्रस्तावना में जोर दिया है कि जीवन के भय को कम करने और सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए आगे बढ़कर एक वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी प्रकृति के अनिशिचतता के बारे में समझना होगा और योग्तम की उत्तर जीविता के सिद्वांत को समझना होगा। उन्होंने आगे इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार डीएई के सुरक्षा निर्देषों का पालन किया गया है और हर संभव कदम उठाए गए हैं जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना न हो सके। उन्होंने आईएईए के

1994 के परमाणु सुरक्षा पर कनवेंशन और स्पैंट फ्यूल के प्रबंधन की सुरक्षा पर संयुक्त कनवेंशन और रेडिएशन से सुरक्षा प्रबंणन पर कनवेंशन-1997 को कोट किया जिसमें केवल भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर जनता की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने फुकूशिमा की घटना के बाद कुडनकुलम में सुरक्षा मानकों की जांच जो एईआरबी द्वारा गई का भी उल्लेख किया। इसके बावजूद भी परमाणु स्थापना के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करने के बाद भी पर्याप्त सिफारि और अदालती आश्वासन की जरूरत महसूस हुई।

जस्टिस मिश्रा ने सुरक्षा और परमाणु उर्जा विकास को आनुपतिक रूप् में आमने सामने रखकर देखा है। जबकि सुरक्षा की जरूरत को वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी माना गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक आधुनिक राज्य के निर्माण के लिए परमाणु उर्जा की जरूरत है। परमाणु उर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण की सुरक्षा को एक साथ लाना होगा। जस्टिस मिश्रा ने नर्मदा केस का उल्लेख करते हुए कहा कि एक प्रजातांत्रिक देश में लोक कल्याण को बड़ा माना जाता है। और केवल समाज के एक छोटे से वर्ग की वजह से सरकार अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती है।

अपने अंतिम निर्देश में अदालत ने एनपीसीआईएल से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करे जिसमें फाइनल कमिशनिंग, पर्यावरणीय प्रभाव सहित सभी सुरक्षा के उपायों और पहलुओं की जानकारी, सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल हो। समय-समय पर की जाने वाली सुरक्षा जांच रखरखाव , परमाणु कचरे के निपटान से संबंधि कार्य और फुकूशिमा की घटना के बाद जारी दिशानिर्देशों का पालन और एनडीएमए के दिशा निर्देशों का पालन, अदालत ने एनपीसीआईएल, एईआरबी, एमओईएफ, टीएनपीसीबी और अन्य संबंधित निकायों को निर्देश भी दिए हैं लेकिन उनकी क्षमता और ईमानदारी पर पूरा भरोसा भी जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक गहरे जियोलॉजिकल रिपोजिटेरी की तुरंत स्थापना के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि इसकी स्थापना जल्दी होनी चाहिए ताकि एसएनफ को परमाणु प्लांट से डीजीआर भेजा जा सके।

आंदोलकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लिए

सर्वोच्च न्यायालय ने कुडनकुलम में आंदोलकारियों पर लगाए गए आराधिक मामलों को वापस लिए जाने के निर्देश दिए है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके और शांति कायम की जा सके।

इस परिदृश्य में, अपने अधिकारों के संघर्ष कर रहे भारत के लोगों का इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाना निर्थक है। और यह कहा जा सकता है कि अदालत खुद भी इसी सिस्टम का हिस्सा है जो आशंकाओं और वंचित जन समुदाय और 'व्यापक जनहित' की मुख्य अवधारणा के बीच बढ़ती खाई को पाटने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय के समक्ष याचना करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है और लोगों को विकाश की विनाशक अवधारणा जो विकसित हो रही के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।

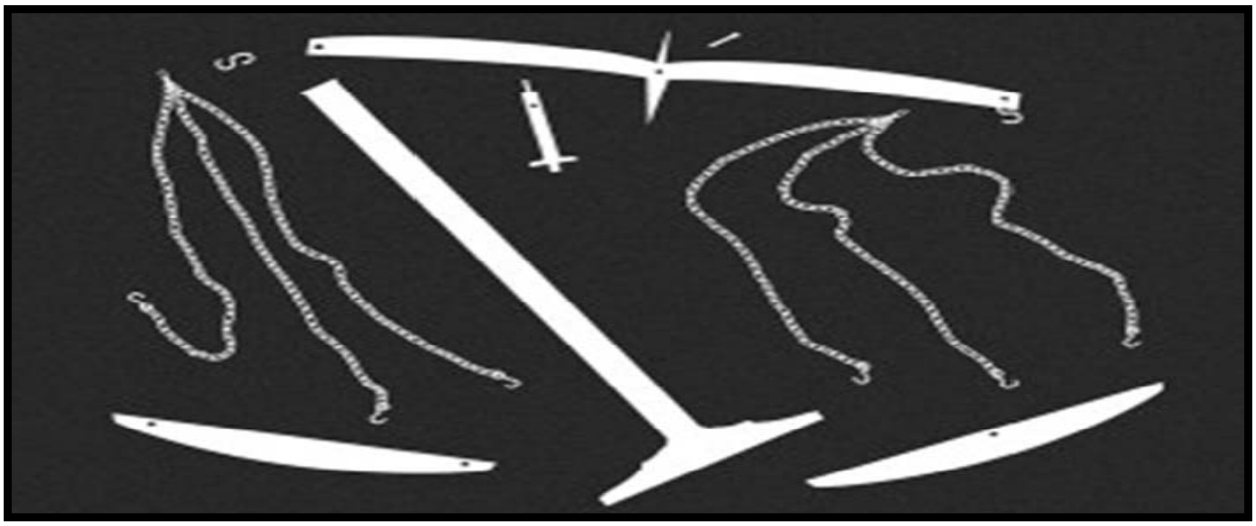

उत्तराखंड को बचाने की जद्दोजहद

उत्तराखंड को भारत का "वाटर टैंक" कहा जाता है और अब वहां 500 से अधिक बांधों के निर्माण की योजना बन रही है। वैसे कुछ पर काम शुरु भी हो गया है। भरपूर पानी वाले क्षेत्र में लोग अब पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। ऐसी आत्मघाती योजनाओं को उद्घाटित करता सुरेश भाई का महत्वपूर्ण आलेख-

उत्तराखण्ड राज्य समेत सभी हिमालयी राज्यों में सुरंग आधारित जलविद्युत परियोजनाओं के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है। ढालदार पहाड़ी पर बसे हुए गांवों के नीचे धरती को खोदकर बांधों की सुरंग बनाई जा रही है। इन बांधों का निर्माण करने के लिए निजी कंपनियों के अलावा एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी कमाऊ कंपनियों को बुलाया जा रहा है।

राज्य सरकार इन्ही के सहारे ऊर्जा प्रदेश का सपना भी देख रही है और पारंपरिक जल संस्कृति और पारंपरिक संरक्षण जैसी बातों को बिलकुल भुला बैठी है। निजी क्षेत्र के पीछे वैश्विक ताकतों का दबाव है। दूसरी ओर इसे विकास का मुख्य आधार मानकर स्थानीय लोगों की आजीविका की मांग को कुचला जा रहा है। लोगों की दुविधा यह भी है, कि टिहरी जैसा विशालकाय बांध तो नहीं बन रहा है, जिसके कारण उन्हें विस्थापन की मार झेलनी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस तरह के बांधों से विस्थापन नहीं होगा, किंतु टनल के आउटलेट और इनलेट पर बसे सैकड़ों गांव की सुरक्षा कैसी होगी? सन् 1991 के भूकंप के समय उतरकाशी में मनेरी भाली जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण के टनल के ऊपर के गांव तथा उसकी कृषि भूमि भूकम्प से जमींदोज हुई है, और नमी लगभग खत्म हुई है। इसके अलावा जहां पर सुरंग बांध बन रहे हैं वहां के गांव के धारे व जलस्रोत सूख रहे हैं। इस बात पर भी पर्यावरण प्रभाव आंकलन की रिपोर्ट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

राज्य सरकार सोचती है कि पंचायतें, गांव आदि की क्षमताएं कम करके कंपनियां विद्युत परियोजनाएं बनाकर राज्य का विकास कर देगी, जबकि गांव की पुश्तैनी व्यवस्था को अक्षम समझना बड़ी भूल है। सत्ता और विपक्ष से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यही पाठ पढ़ाया जा रहा है, कि स्थानीय स्तर पर बनने वाली लोक लुभावनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देकर ही वे सत्ता सुख प्राप्त कर सकते हैं

अतः यह समझने योग्य बात है कि जिन लोगों ने टिहरी बांध निर्माण कम्पनी की पैरवी की है वे ही बाद में टिहरी बांध झील बनने के विरोधी कैसे हो गए? यह एक तरह से आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ ही तो है। पाला मनेरी, लोहारी नागपाला, घनसाली में फलेण्डा लघु जल विद्युत योजना, विष्णु प्रयाग, तपोवन, बुढाकेदार चानी, श्रीनगर आदि कई जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण करवाने के लिए, लोगों को पैसे और रोजगार का झूठा आश्वासन देकर समझौता किया गया है।

इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लोगों के बीच में एक ऐसी हलचल पैदा हो जाती है, जिसका एकतरफा लाभ केवल निर्माण एजेंसी को ही मिलता है। परियोजना के पर्यावरण प्रभाव की जानकारी दबाव के कारण ही बाद में समझ में आने लगती है। इसी तरह श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (330 मेगावाट) की पर्यावरणीय रिपोर्ट की खामियां 80 प्रतिशत निर्माण के बाद याद आई।

उत्तराखण्ड हिमालय गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियों और उनकी सैकड़ों सदानीरा जलधाराओं के कारण पूरे विश्व में जलभण्डार के रूप में प्रसिद्ध है। इन पवित्र पावनी नदियों के तटों एवं उन्हें पोषित करने वाले

ऊंचे पर्वतों पर ऋषि-मुनियों ने अध्ययन एवं तपस्या की तथा सामाजिक व्यवस्था के संचालन के नियम-विधान बनाए। लेकिन तथाकथित विकास और समृद्वि के झूठे दम्भ से ग्रस्त सरकारें गंगा तथा उसकी धाराओं के प्राकृतिक सनातन प्रवाह को बांधों से बाधित कर रही हैं। इनसे इन नदियों के अस्तित्व खतरे में है। इसके कारण राज्य की वर्षा पोषित एवं हिमपोषित तमाम नदियों पर संकट खड़ा हो गया है। जहां वर्षा पोषित कोसी, रामगंगा, व जलकुर आदि नदियों का पानी निरतंर सूख रहा है वहीं भागीरथी, यमुना, अलकनंदा, भिलंगना, सरयू, महाकाली, मन्दकानी आदि पवित्र हिमपोषित नदियों पर सुरंग बांधों का खतरा है। इन नदियों पर बनने वाले 558 बांधों से सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहती है, लेकिन विशिष्ठ भू-भाग की पहचान की दृष्टि से जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप के लिए संवेदनशील हिमालय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखकर नदियों के उद्गम से लेकर आगे लगभग 150 किलोमीटर तक श्रंखलाबद्ध रूप से दर्जनों सुरंग बांधों का निर्माण खतरनाक संकेत दे रहा है। लोगों ने प्रारंभ से ही सुरंग बांधों का विरोध किया है। सुरंगों के निर्माण में प्रयोग किये गये भारी विस्फोटों से लोगों के घरों में दरारें आयी हैं और पेयजल स्रोत सूखे हैं। सिंचाई नहरों तथा घराटों का पानी बंद हुआ है। चारागाह, जंगल और गांव तक पहुंचने वाले रास्ते उजाड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही लघु एवं सीमान्त किसानों की खेती बाड़ी प्रभावित हुई है और वे भूमिहीन हो गये हैं।

नदी बचाओ अभियान ने सन 2008 को इसलिए नदी बचाओ वर्ष घोषित किया था, कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ मिलकर समाधान करेगी, लेकिन दुखः की बात यह है कि प्रदेश के निवासियों की अनसुनी की गई है। केंद्रीय पूर्व वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश ने इसकी गंभीरता को समझा था, जिसके परिणामस्वरुप सुरंग बांधों से नदी व नदी के आर-पार रहने वाले लोगों का पर्यावरण एवं आजीविका बचाने के उद्देश्य से ही तीन परियोजनाएं रोकी गई थीं। यदि नदी बचाओ अभियान के साथियों की बात सन् 2006 में ही सुनी जाती तो बंद पड़ी परियोजनाओं पर इतना खर्च भी नहीं होता। उत्तराखण्ड में बड़ी मात्रा में सिंचाई नहरें, घराट और कुछ शेष बची जलराशि अवश्य है, लेकिन पानी की उपलब्धता के आधार पर ही छोटी टरबाइनें लगाकर इनसे हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसको ग्राम पंचायतें एवं जिला पंचायतें बना सकती हैं।

इससे उत्तराखण्ड की बेरोजगारी समाप्त होगी। इसके लिए सरकार को जलनीति बनानी चाहिए। यहां कई संगठनों ने राज्य सरकार को लोक जलनीति सौंपी है। वैसे सन् 2007 की पुनर्वास नीति मे भी लिखा है कि ऐसी परियोजनायें बनें जिसमें विस्थापन न होता हो। जल नीति में जलधाराओं, जल संरचनाओं, नदियों, गाड़-गदेरों में जल राशि बढ़ाने, ग्लेशियरों को बचाने तथा प्रत्येक जीवन को जल निःशुल्क मिलना चाहिए। उत्तराखण्ड के भारत का वाटर टैंक होने पर भी यहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है। पानी और जंगल का जिस तरह रिश्ता है, उसे बरकरार रखना भी जलनीति का मुख्य बिन्दु होना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई नहर से एक घराट चलाकर अथवा टरबाईन चलाकर बिजली बनाने का प्रयोग हमारे प्रदश में मौजूद है। वर्षा जल संग्रहण के पारम्परिक तरीकों से सरकार को सीखना होगा। प्रदेश में वर्षा जल का 2 प्रतिशत भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जल संरचनाओं चाल, खाल पर मनरेगा में जिस तरह से सीमेंट पोता जा रहा है, उससे भी उतराखण्ड के जलस्रोत सूख जायेंगे। जलनीति में इसके लिए पारम्परिक चालों के बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए।

(श्री सुरेश् भाई लेखक हैं एवं उतराखण्ड नदी बचाओ अभियान से जुडे हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं।)

(साभार:सप्रेस)

कोकाकोला संयंत्र: राष्ट्रीय हित में कारपोरेटी लूट को न्यौता

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 32 कि.मी. दूर छारबा गांव में कोकाकोला संयंत्र लगाने की अनुमति देकर राज्य सरकार ने न केवल ग्रामीणों की अनदेखी की है, बल्कि पानी की कमी से जूझते उत्तराखंड को नई मुसीबत में डाल दिया है। इस परियोजना की वास्तविकता की जांच करने सुरेश भाई के नेतृत्व में गए दल की रिपोर्ट पर आधारित प्रवीन कुमार भट्ट का महत्वपूर्ण आलेख;

उत्तराखंड सरकार ने 17 अप्रैल 2013 को हिंदुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस बात का समझौता किया कि कंपनी को राजधानी देहरादून के निकट शीतल नदी के किनारे बसे छरबा गांव में 19 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 368 बीघा जमीन कोकाकोला संयंत्र स्थापित करने के लिए दी जाएगी।

सरकार का दावा है कि छरबा में कोकाकोला संयंत्र लगने से राज्य में छह सौ करोड़ का निवेश होगा और एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन विदेशी कंपनी से करार और रोजगार के दावों के बीच सरकार ने उन ग्रामीणों को इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जिनसे जमीन लेकर यह ताना-बाना बुना जा रहा है। यहां तक कि छरबा गांव के लोगों को यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली। जैसे ही सरकार के इस समझौते की खबर फैली वैसे ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। सरकार जितनी बड़ी उपलब्धि बताकर इस समझौते को पेश कर रही थी। पर्यावरण के जानकार इसे उतना ही बड़ा खतरा बता रहे हैं।

प्रस्तावित संयंत्र राजधानी देहरादून से 32 कि.मी. दूर शीतल नदी के किनारे बसे छरबा गांव में लगेगा । 1659 परिवारों के छरबा गांव की आबादी 10,046 है। कृषि पर निर्भर गांव में 18 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं और यह गांव अप्रैल 2012 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से आदर्श ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी जीत चुका है।

यह राज्य के कुछ बेहद प्रगतिशील और आदर्श गांवों में से एक है।

इस गांव को किसी सरकार ने आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंचाया, बल्कि गांव के लोगों की एक पीढ़ी की मेहनत ने यह स्थिति तैयार की है। सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पीसी चंदेल कहते हैं कि चालीस साल पहले तक हमारे गांव में पानी की भयंकर कमी थी। इस कारण कोई अपनी लड़कियों की शादी गांव में करने को तैयार नहीं होता था। यहां तक की दर्जनों परिवार गांव से अपनी जमीनें बेचकर दूर चले गए थे।

लेकिन आज हमारे गांव में पर्याप्त पानी है। गांव में पर्याप्त पानी के पीछे गांव के लोगों का चार दशक से जारी संघर्ष एवं परिश्रम है। गांव वालों ने पानी की

समस्या का समाधान प्रकृति में खोजा और सबसे पहले ग्राम समाज की लगभग 1100 बीघा जमीन में वृक्षारोपण किया। पूर्व प्रधान मुन्ना खां बताते हैं कि उन्होंने दो कार्यकाल लगातार काम किया। तब प्रधान को पट्टे देने का भी अवसर था, लेकिन उन्होंने एक भी पट्टा किसी को नहीं दिया, बल्कि ग्राम पंचायत की 450 बीघा जमीन में जंगल लगवाए। यहां तक कि इन वनों की सुरक्षा गांव वालों ने खुद चौकीदार की व्यवस्था कराकर की।

सरकार ने जिस जमीन का सौदा कोकाकोला के साथ किया वह शीतल नदी के किनारे गांव के सौ मीटर के दायरे में है। गांव वालों को एक तो इस बात का गुस्सा है कि सरकार ने बिना उनसे बात किए जमीन का सौदा कर दिया और दूसरा कोकाकोला ने जहां-जहां अपनी परियोजना निर्मित की है वहां भयंकर प्रदूषण फैला है। भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन के कारण उन क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। खेती की जमीनें बंजर हुई हैं और कंपनी द्वारा किए गए रोजगार के दावे भी खोखले साबित हुए हैं।

यह कहा जा रहा है कि छरबा गांव में लगने वाले कोकाकोला प्लांट को यमुना नदी का पानी दिया जाएगा। जबकि यमुना में पानी की पहले ही कमी है और उत्तरप्रदेश व हरियाणा राज्यों के दो दर्जन से अधिक जिले यमुना के पानी पर ही पेजयल और खेती के लिए निर्भर हैं। जिस आसन बैराज से कोकाकोला को पानी देने की बात हो रही है वह बैराज पर्यटन और पर्यावरणीय की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं इस बैराज पर प्रति वर्ष विदेशी पक्षियों को देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक जुटते हैं। कोकाकोला को पानी दिए जाने के बाद बैराज से बिजली उत्पादन भी घट जाएगा। एक अनुमान है कि कोकाकोला संयंत्र को प्रतिदिन 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता रावत कहती हैं कि कंपनी यमुना से पानी लेने के साथ ही ट्यूबवेल लगाकर भी भूगर्भीय जल खींचेगी और गांव में पानी का जलस्तर घट जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि गांव में खेती, पशुपालन और पानी के स्रोत चौपट हो जाएंगे। साथ ही हमें पीने और सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिलेगा।

जबकि पीसी चंदेल का कहना है कि हमारा गांव पहले ही तीन दिशाओं से उद्योग धंधों से घिर चुका है। रात में खेत में सोने जाओ तो सुबह तक नाक में काला भर जाता है ऐसे में चौथी दिशा में भी अगर हमारा पाला हुआ जंगल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा।

छरबा गांव से लगे सहसपुर, सेलाकुई इत्यादि क्षेत्रों में सरकार पहले ही उद्योग स्थापित कर चुकी है। अब उसकी नजर इस गांव पर है। सहसपुर के प्रधान सुंदर थापा भी छरबा गांव के लोगों को सहयोग का पूरा भरोसा दिलाते हैं। उनका कहना है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जैसा जनता चाहती है।

नदी बचाओ अभियान के संयोजक सुरेशभाई ने छरबा गांव पहुंचकर कहा कि गांव वालों की मर्जी के बिना कोई परियोजना गांव में नहीं लग सकती। विदेशी कंपनियों और विदेशी पूंजी के आगे सरकार नतमस्तक है, जबकि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने क्या कोकाकोला के साथ समझौता करने से पहले देश के अन्य भागों में लगे कोकाकोला परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया है? क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए ग्राम पंचायत से एनओसी ली है? उन्होंने सवाल उठाया कि यमुना का पानी उत्तरप्रदेश और हरियाणा में खेती और पेयजल के लिए प्रयोग होता है ऐसे में राज्य सरकार को इन राज्यों को भी भरोसे में लेना चाहिए था।

छरबा के ग्रामीणों ने पूर्व में ग्राम समाज की जमीन में गौवंश संरक्षण केंद्र, कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जैसे अनेक उपयोगी केंद्र खोलने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया। जबकि यूनियन बैंक की ओर से कृषि प्रशिक्षण केंद्र के लिए सहयोग का प्रस्ताव दिया गया था। सरकार ने गांव वालों को झांसा देकर 2003 में दून विवि की स्थापना के नाम पर गांव की 520 बीघा जमीन की एनओसी कराई थी अब बिना दुबारा एनओसी के इसी जमीन में से 368 बीघा जमीन सरकार ने कोकाकोला को बेच दी है। जबकि विवि के लिए ली गई जमीन पर कोकाकोला जैसी परियोजना बिना गांव वालों की सहमति के नहीं लग सकती है।

पीएसआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल गौतम भी गांव के पास प्रस्तावित इस संयंत्र को खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि कोकाकोला संयंत्र से निकलने वाला रसायन उपजाऊ जमीन को भी बंजर कर देता है। कोक के संयंत्र में जितना पानी एक दिन में अंदर लिया जाता है उसका आधा पानी रसायन के रूप में बाहर छोड़ा जाता है। यह रसायन मिला पानी जमीन की सतह पर बहे या जमीन के अंदर जाए दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बनारस के मेहंदीगंज इलाके में जहां सन् 2002 में कोकाकोला ने अपना संयंत्र लगाया था वहां आज भू जलस्तर 50-60 फीट नीचे चला गया है। इससे आत्मनिर्भर बनाने वाला रोजगार तो विकसित हो नहीं सकता। हां खेती और पशुपालन चौपट होने से भुखमरी की नौबत जरूर आ जाएगी। उत्तराखंड जलविद्युत निगम के निदेशक ऑपरेशन पुरुषोत्तम का कहना है कि यमुना में पहले ही पानी की कमी है। पानी अगर कहीं और मोड़ा गया तो पानी की और कमी होगी, जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा। (साभारः सप्रेस)

(श्री प्रवीन कुमार भट्ट स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

यह आत्महत्या नहीं, हत्या है : जाँच दल

राजस्थान के झुंझनू जिले में अवैध खनन का विरोध कर रहे स्वतंत्रता सैनानी ताड़केश्वर शर्मा के पौत्र प्रदीप शर्मा की संदिग्ध मौत को पुलिस ने आत्महत्या करार दिया. लेकिन स्वतंत्र जाँच दल को मिले साक्ष्य उनकी हत्या किये जाने की ओर इशारा करते हैं. वहीं इस हत्या के दोषियों की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर पचेरीकलां गांव में अनिश्चितकालीन धरना 100 दिन से जारी है. वहीं अनिश्चतकालीन धरने के दौरान प्रदीप शर्मा के चाचा की मौत हो गई है. पेश है जाँच दल की रिपोर्ट-

- 4 मार्च, 2013 को झुंन्झुनूं जिले की तहसील बुहाना के पचेरी कलां गांव में दोपहर बाद करीब 3 बजे प्रदीप शर्मा का शव मिला। शव की बरामदगी उस खनन लीज क्षेत्र के पास एक गंदे पानी के बड़े गडढे से हुई। खनन लीज से फैलने वाले प्रदूषण से गांव को बचाने के लिए प्रदीप शर्मा लम्बे समय से संघर्ष कर रहे थे।
- सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा स्वतंत्रता सैनानी ताड़केश्वर शर्मा के पौत्र थे। नवलगढ निवासी स्वतंत्रता सैनानी सांवलराम भारतीय ने ताड़केश्वर शर्मा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे प्रजामण्डल के उपनेता थे। 1937 में उन्होंने जेल में अनशन किया जिसके बाद अंग्रेज सरकार को जेलों में कई सुधार करने पड़े। 1939 में दो साल की कड़ी सजा भुगती। इसके बाद 1942 के आन्दोलन में भी उन्हें तीन महीने की जेल की सजा हुई। सरकार ने उनकी 100 बीघा जमीन भी जब्त कर ली। अंग्रजों से आजादी के बाद भी ताडकेश्वर शर्मा शोषण के खिलाफ आन्दोलनों में भागीदारी करते रहे। प्रदीप शर्मा के पिता लेखाराम शर्मा भी कई जनान्दोलनों में सक्रिय रहे हैं। परिवार के इन संस्कारों और बलिदान का प्रदीप शर्मा पर पूरा प्रभाव था। इसी के रहते प्रदीप शर्मा क्षेत्र के तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे और पचेरी कला में खनन से फैलने वाले प्रदूषण से गांव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
- परिजनों ने जांच दल को बताया कि वे 3 मार्च को करीब रात साढे सात बजे के बाद से घर से लापता थे। वे रोज की तरह उस दिन अपने छोटे भाई के यहां से खाना लेकर कमरे पर गये थे। कुछ लोग बुलाने आये थे। उसके बाद से परिवारजन उन्हें

अवैध खनन के खिलाफ लड़ने वाले को मिली मौत

माफिया ने ली जान!

तलाश रहे थे।
- प्रदीप शर्मा का शव मिलते ही उसी शाम को एक निजी टी.वी. चैनल द्वारा एक ब्रेकिंग न्यूज दी गई- एक युवक (प्रदीप शर्मा) गांव के पास तालाब में नहाने गया जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई।
- शव मिलने के अगले दिन यानी 5 मार्च, 2013 को स्थानीय समाचार पत्रों के जरिये पुलिस ने इसे आत्महत्या की घटना ठहराया और एक सुसाइड नोट की बरामदगी की बात की।
- जांच दल ने उस तालाब का मौका मुआयना किया। जांच दल को हैरानी हुई कि यह कोई नहाने का तालाब नहीं बल्कि गांव के गंदे पानी का बड़ा गडढा है। तालाब की गहराई मात्र एक या डेढ फीट से अधिक नहीं हैं। इतने से पानी में डूबकर मरना या आत्महत्या करना मुमकिन नहीं। पास ही एक पुराना कुआं भी है यदि आत्महत्या ही करनी होती तो इतने कम गहरे गडढे के बारे में क्यों सोचा जाता?
- 24 मार्च, 2013 को जांच दल पचेरीकला

में सी॰बी॰आई॰ जैसी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे ग्रामीणों के धरना स्थल पर पहुंचा। धरना स्थल पर उपस्थित पूर्व डीजीपी जे. पी. मिश्रा ने जांच दल को बताया कि पुलिस जिसे सुसाइड नोट बता रही है वह दो साल पहले लिखी एक चिटठी है जिसमें प्रदीप शर्मा ने भविष्य में खनन माफियाओं द्वारा उनकी हत्या किये जाने की बात कही हैं। यह चिटठी उनको पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड नोट कहकर दिखाई थी। अपने पुलिस कैरियर के अनुभव के आधार पर जे. पी. मिश्रा इस चिटठी को सुसाइड नोट मानने से साफ इंकार करते हैं।

- प्रदीप शर्मा के छोटे भाई अनूप ने जांच दल को बताया कि परिजनों की अनुपस्थिति में पुलिस ने घर का ताला तोड़कर घर से इस चिटठी को हासिल किया। यह चिठ्ठी प्रदीप ने इसलिए लिखकर रखी थी क्योंकि उसको संदेह था कि खनन माफिया उसकी हत्या कर सकते हैं। इस संबंध में प्रदीप शर्मा के पुत्र राकेश शर्मा ने पुलिस उपाधीक्षक, खेतड़ी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की। वे अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर 4 मार्च की रात साढे 10 बजे दिल्ली से गांव लौटे तो उन्हें अपने घर के ताले टूटे मिले। पूछताछ करने पर गांववालों ने बताया कि एस॰ एच॰ ओ॰ अनिल कुमार मूंड ने घर का ताला तोड़कर बिना मेरी अनुमति के घर का सामान चैक किया। साथ ही पुलिस पर हत्या के साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की।
- भीमप्रज्ञा के संवाददाता हरेश पंवार ने बताया कि जब पुलिस घर की छानबीन करने आई थी तब वे वहाँ मौजूद थे लेकिन पुलिस चौकी इंचार्ज ने उन्हें घर से बाहर ही रोक दिया। इसके बाद उनकी खबर पर कई क्षेत्रीय संवाददाता वहां पहुंचे परन्तु पुलिस ने उन्हें भी अन्दर जने मना कर दिया। बाहर आने पर परिजनों व पत्रकार साथियों द्वारा सर्च वारंट व बरामद सामान की जानकारी चाही तो पुलिस चौकी इंचार्ज ने कुछ भी मना करने से इंकार कर दिया।
- जांच दल को ग्रामीणों ने बताया कि परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से प्रदीप शर्मा के गुम मोबाइल की जानकारी मांगी और साथ ही कॉल डिटेल चाही। तब शव मिलने के पांच दिन बाद पुलिस चौकी इंचार्ज ने गद्दे की तलाशी करवायी जिसमें मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल चालू हालत था। जांच दल को सन्देह है कि मोबाइल की बरामदगी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार मोबाइल ढूढनेवला कथित तैराक नारनौल वासी बजरंग है जो अपनी ससुराल सिंघाना में रह रहा था। परन्तु उस दिन के बाद उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं दिखाए गए हैं। किसी विषैले पदार्थ को खाने की भी तथ्य नहीं हैं। जबकि परिवारीजन द्वारा उपलब्ध कराये गये शव के फोटोग्राफ में चोटों के निशान स्पष्ट देखें। आंख भी क्षतिग्रस्त थी। दाहिने हाथ पर चोट का निशान, पेट पर खून लगा है। जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र महानगर टाइम्स में 12 मार्च, 2013 को प्रकाशित एक खबर में संदेह व्यक्त किया कि मेडीकल बोर्ड में शामिल सभी सदस्य उसी जाति है जिस जाति से खनन संचालक हैं।
- खान एवं भू विज्ञान विभाग, सीकर द्वारा जारी पचेरी कला में खनन पटटों की सूची से जांच दल को पता लगा कि गांव में कुल पांच खनन पटटे हैं। पचेरी कला के खसरा नम्बर 1272 के गैर मुमकिन पहाड़ में प्रत्येक लीज एक हेक्टेयर की है। एम॰एल॰न॰ 356/06 व 357/06 के पटटे सुदेश अहलावत निवासी मनोहरपुरा, 358/06 व 359/06 श्रीमती कृष्णा अहतावत निवासी मोहनपुरा तथा 1021/09 रघुवीर सिंह निवासी मुरादपुर के नाम दर्ज हैं। परन्तु इन लीज पर अनिल व प्रदीप नाम के व्यक्तियों के निर्देशन में खनन होता है।
- सभी पांचों लीजों में से केवल 357 व 358 को ही डी जी एम एस अजमेर से ब्लास्टिंग अनुमति प्राप्त हैं। परन्तु सभी लीजधारक अन्धाधुंध ब्लास्टिंग करते रहे हैं। 20 दिसम्बर 2010 को ग्राम सभा ने ब्लास्टिंग के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। दयाराम शर्मा पुत्र श्री नागेश्वर ने लीज संख्या 1072 के संचालकों द्वारा बिना अनुमति के ब्लास्टिंग किये जाने की लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करते हुए इस लीज प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की थी। प्रदीप शर्मा, दयाराम शर्मा, सुरेश कुमार बोहरा, सुरेश कुमार योगी, रोशन लाल कुमावत, प्रेम कुमार टेलर, सत्यदेव सिंह व रोहितश्व प्रजापत ने अवैध खनन के इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा भी

खटखटाया। जिसमें शिकायतकर्ता ग्रामवासियों को जीत हासिल हुई । 24 मई 2011 को उच्च न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश हुए और हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज के॰ एस॰ चौधरी के द्वारा मामले की जांच के आदेश भी हुए। स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के रहते जांच के समय खनन को पहले से ही बंद रखा गया इसके बावजूद भी हाइकोर्ट के आदेश पर गठित जांच टीम को खनन कार्य में कई कानूनी खामियां नजर आईं।

- 21 जनवरी 2011 को ब्लास्टिंग के कारण आंगन में काम कर रही एक वृद्ध महिला सावित्री के चेहरे पर पत्थर आकर गिरा। इस पर ग्रामीणों ने लीजधारकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार अनिता धरवाल ने मौका मुआयना भी किया और लीजधारकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का आष्वासन दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
- जांच दल ने यह पाया कि सभी लीजधारक प्रदेश की राजनीति में ऊँचा ओहदा रखने वालों के सीधे तौर पर रिश्तेदार हैं या फिर उनके समर्थक हैं। जांच दल ने बुहाना में ऐसे पोस्टर लगे देखे जिनमें इन राजनेताओं के समर्थन में लीजधारकों के प्रबंधकों के नाम अंकित थे। लीजधारक क्षेत्रीय नेताओं के चंदे की व्यवस्था करते रहे हैं। इनमें से एक लीजधारक जिले के समस्त लीजधारकों का नेता है।
- जांच दल को ग्रामीणों ने बताया कि लीजधारकों की शह पर प्रदीप शर्मा व अन्य साथियों को एस.सी - एस.टी के फर्जी केस में फसाने का प्रयास भी किया गया। लीज पर मजदूरी कर रहे धानक जाति के मजदूर सुभाष निवासी माधवगढ़ थाना सतनाली ने लीजधारक सुदेश अहलावत के कहने पर पुलिस में एस.सी -एस.टी के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया। 5 जून 2011 को दर्ज इस मामले में 17500 रूपये की लूट की बात भी कही परन्तु बाद में यह केस झूठा साबित हुआ।
- 11 मई, 2012 को गांव में तीन गाडियों में सवार होकर हथियारबंद लोग आये थे जिन्होंने ग्रामीणों को अवैध खनन के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए डराया-धमकाया और पिस्टल हवा में लहराये थे। जिस पर ग्रामीण ने प्रषासन के समक्ष शिकायत की थी।
- लीजधारकों ने फोन पर यह जानकारी दी कि प्रदीप शर्मा आदतन शराबी और असमाजिक व्यक्ति था। इस तथ्य के बारे में जब जाँच दल ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो सभी का यह कहना था कि इस परिवार में मांस-मदिरा को सेवन करना भी पाप समझते हैं। शराब पीना तो दूर किसी शराबी के पास बैठना भी पसन्द नहीं करते।
- जाँच दल को यह जानकारी हुई कि सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर इस घटना से काफी आहत हुई और स्वयं इस गांव में अपने साथियों के साथ आईं थीं। प्रदीप की हत्या के बाद भी जारी अवैध खनन को ग्रामीणों के साथ मिलकर बन्द कराया था साथ ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से इस मामले में उसी समय सीधे फोन पर शिकायत भी की।
- पी.यू.सी.एल. की राष्ट्रीय सचिव कविता श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अतरिक्त पुलिस अधीक्षक नटवर लाल, सेवानिवृत्त डी.जी.पी, जे पी मिश्रा व अनेक प्रतिष्ठित कानूनविद इस घटना को हत्या मानते हैं।
- इस घटना के विरोध में तथा हत्यारों को सजा दिलाने व अवैध खनन को तत्काल बन्द करने की मांग को लेकर तहसील बुहाना व सिंघाना को नागरिकों ने स्वेच्छा से बन्द रख सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। गांव पचेरों कला के ग्रामीण यहाँ तक कि महिलाऐं घटना के दिन से आज तक शान्ति पूर्ण धरना दे रही हैं। लोजपा के सुभाष खांदवा, अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है।

जांच दल के निष्कर्षः-

- जांच दल के सभी सदस्यों का मानना है कि प्रदीप शर्मा की हत्या हुई है।
- प्रदीप शर्मा व अन्य ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से शिकायत करना, हाइकोर्ट से स्टे लाने जैसी तमाम कार्यवाहियां लीजधारकों व उनके प्रबंधकों को शक के दायरे में लाता है कि वे प्रदीप शर्मा की हत्या में शामिल हो।
- क्षेत्रीय पुलिस द्वारा इस घटना को आत्महत्या घोषित करने का प्रयास, बिना अनुमति घर में ताला तोड़कर घुसना, हत्या के पांच दिनों बाद प्रदीप शर्मा के फोन की चालू हालत में पुलिस द्वारा बरामदगी उनकी हत्यारों से मिली भगत होने के संदेह को और पक्का करता है। हत्या के साक्ष्य मिटाने की कोशिष पुलिस कर्मियों के हत्यारों व

उनके राजनैतिक संरक्षकों के दबाव में होने का प्रमाण है।

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान न होने का तथ्य मेडीकल टीम के हत्यारों के दबाव में होना दर्षाता है।
- बुहाना में लगे पोस्टरों से लीजधारकों के राजनैतिक पहुंच के लोगों से संबंध- रिष्तेदारी तय हैं। जिनके दबाव के रहते ही क्षेत्रीय पुलिस हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है।
- डीजीएम एस अजमेर, हाईकोर्ट के आदेश पर गठित जांच टीम ने मांना कि पचेरी कलां की इन लीजों पर ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं जा सकती।
- लीजधारकों की शह पर प्रदीप शर्मा को झूठे केस में फंसाने, गुंडों द्वारा गांव में आकर डराने-धमकाने की घटनाओं से जांच दल को उनके हत्या में शामिल होने का संदेह हैं।

जांच दल के सुझाव व मांगें : -

- क्षेत्रीय पुलिस एवं जांच एजेन्सियां राजनैतिक दबाब में हैं अतः सरकार इस घटना की सी॰बी॰आई॰ जैसी उच्च स्तरीय जांच एजेन्सी द्वारा जांच करायी जाये।
- इस घटना को हत्या का केस मानते हुए जांच की जाए। इस जांच में वर्णित तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर जांच दल समझते है कि इन तथ्यों को अनुसंधान में शामिल किया जाय।
- जैसा कि यह प्रकरण प्रदीप शर्मा से दुश्मनी का नहीं बल्कि अवैध खनन के खिलाफ संघर्षरत अन्य ग्रामीणों के जीवन की रक्षा से जुड़ा है। साथ ही लीजधारक व उनके प्रबंधक इस केस की पैरवी करने वालों को डरा-धमका सकते हैं या जान-माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करते हुए उनके नाम जांच में शामिल किये जाये।
- लीजधारकों से संबंध या रिश्तेदारी रखने वाले राजनेताओं के नाम का खुलासा करने के लिए अनुसंधान किया जाय। संदेह के आधार पर क्षेत्रीय राजनेताओं के मोबाइल फोन की डिटेल का अनुसंधान किया जाना चाहिए।
- पचेरी कला में संचालित खनन अवैध एवं जनविरोधी है। इसीलिए इससे संबंधित सभी लीज प्रस्ताव तत्काल निरस्त किये जाये।
- जाँच दल में शामिल थे शशिकान्त, राजस्थान जन अधिकार मंच जयपुर, बजरंग लाल एडवोकेट, झुंन्झुनूं, वीरेन्द्र क्रांतिकारी, भारतीय गरीब जनान्दोलन, अलवर, ओमप्रकाश झारोडा, अ. भा. किसान महासभा, बुहाना और श्रीराम दूत, शेखावाटी किसान मंच, नवलगढ।

भूमि अधिग्रहण विरोधी धरने के तीन वर्ष पूरे होने पर जनसभा

नवलगढ़ में पिछले तीन वर्ष से किसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे है। यह किसान अपनी उपजाऊ भूमि किसी भी कीमत पर सीमेंट कंपनियों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसानों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि किसानों के 1000 से भी ज्यादा दिन से जारी अनिश्चितकालीन धरने के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।

नवलगढ़ के **किसान धरने के तीन वर्ष पूरे होने के मौके पर 27 अगस्त, 2013 को एक विशाल जन सभा का आयोजन कर रहे है। जिसमे** विधायक अमरा राम, जन संघर्ष समन्वय समिति के सह सयोजक रामाश्रय यादव, कृषि भूमि बचाओ मोर्चा उत्तर प्रदेश से अमर नाथ यादव, गंगा एक्स प्रेस वे विरोधी आंदोलन से अरुण सिंह, गोरखपुर परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन, हरियाणा से डॉ. राजेंद्र शर्मा, अवैध खनन विरोधी आंदोलन, नीम का थाना से कैलाश मीना, राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन से हरकेश बुगालिया, जिंदल भूषण मित्तल विरोधी आंदोलन, झारखंड से कुमार चंद मार्डी, उन्ना सेज विरोधी आंदोलन, हिमाचल प्रदेश से दुलभ सिंह भाग लेगे.

ज्ञात हो कि झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और सीकर जिले के बेरी क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों के लिए 18 गांवों में बसी करीब 50 हजार लोगों की आबादी को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अल्ट्राटेक लिमिटेड व आईसीएल सीमेंट लिमिटेड, बांगड़ ग्रुप की श्री सीमेंट लिमिटेड जैसी नामी कंपनियों को सरकार ने 72 हजार बीघा बेशकीमती जमीन हड़पने की हरी झंडी दे दी है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान पिछले तीन सालों से संघर्षरत है. अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें : दीपसिंह शेखावत -मो. 09460148924

(सयोजक : जन संघर्ष समन्वय समिति एवं नवलगढ़ भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति)

प्राकृतिक संसाधनों पर हक किसका ?

गुजरी 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉक्साइड के खनन के लिए वहाँ की ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी परंतु हम अपने देश में देखे, तो पिछले दो दशकों से बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियाँ यहाँ की भूमि, नदी, खदान, पर्वत, समुद्र सब पर कब्जेदारी के लिए सीधे भारत सरकार से करार कर रही है। फिर उस क्षेत्र से बसे लोगों को भगाने के लिए हमारी सरकारें अपनी सेना का इस्तेमाल कर रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बहुत से प्रदेशो की सरकारें पिछले दो दशकों से क्रूरतम तरीकों से ऐसा ही कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सीमा आजाद की टिप्पणी-

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह उल्लेखनीय फैसला आया कि वेदान्त कम्पनी की उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉक्साइड के खनन के लिए वहाँ की ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी। यह फैसला दो लिहाज से महत्पूर्ण है। पहला यह कि इस फैसले के माध्यम से पहली बार ग्राम सभा के रूप में स्थानीय लोगों की राय को महप्पूर्ण माना गया। दूसरा यह कि पहली बार संविधान के 73वें 74वें संशोधन को जमीन पर उतरने पर जोर दिया गया, जिसके मुताबिक किसी क्षेत्र के विकास में ऊपरी संस्थाओं की बजाय उस क्षेत्र की ग्राम या क्षेत्र पंचायतों की भूमिका व राय अहम होगी, कि वे अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगी.

यह फैसला इसलिय भी महत्वपूर्ण है कि यह अपने आप में ढेर सारे सवाल-जवाब और दो विचारधाराओं को समेटें हुए है। पहला सवाल तो यह है, कि किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका कब्जा हो। दूसरा सवाल यह है कि किसी क्षेत्र के विकास का

निर्णय किसका हो? यदि हम अपने देश में देखे, तो पिछले दो दशकों से बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियाँ यहाँ की भूमि, नदी, खदान, पर्वत, समुद्र सब पर कब्जेदारी के लिए सीधे भारत सरकार से करार कर रही है। फिर उस क्षेत्र से बसे लोगों को भगाने के लिए हमारी सरकारें अपनी सेना का इस्तेमाल कर रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बहुत से प्रदेशो की सरकारें पिछले दो दशकों से क्रूरतम तरीकों से ऐसा ही कर रही है। जिसे देखते हुए ऐसा ही लगता है कि इस देश के प्राकृतिक संसाधन पर सरकारों का कब्जा है और किसी क्षेत्र के विकास के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी सरकारों के पास है।

आखिर जनता ही अपने वोट के माध्यम से सरकार बनाती है। पर हमारा संविधान जिनके मार्गदर्शन में ये सरकारे चलने का दावा करती है वह भी ऐसा नही मानता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विकास के इस सरकारी मॉडल और सोच के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे प्रसिद्व संविधान विद्वान वकील रविकरन जैन अपने कई लिखित और मौखिक लेंखों/वक्तव्यों में बताते है कि संविधान कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना समुदाय का यानि जनता का है, सिर्फ उसके उचित वितरण व रखरखाव का काम राज्यों यानि साकारो का है। इसी प्रकार संविधान का 73वां व 74वां संशोधन भी कहता है कि, किसी क्षेत्र के विकास कार्य के निर्णय से लेकर क्रियान्वयन का काम इस क्षेत्र की ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों व नगर पलिकाओं का है न कि किसी ऊपरी संस्था का। ऊपरी संस्थाओं का काम निचली संस्थाओं को उन योजनाओं के लिए आर्थिक से लेकर अन्य तरीके की मदद पहुंचाना भर है।

इस रूप में 1950 में जवाहर लाल नेहरू की अगुवाई में बने योजना आयोग को भी श्री जैन असवेधानिक बताते है, क्योंकि उसका काम केन्द्रीय रूप से योजना बनाकर इसे नीचे तक लागू कराना है, जो कि ग्राम पंचायतों नगर पंचायतों व पालिकाओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यानी हमारें देश की विरोधाभाषी व्यवथा की शुरूआत इसकी पहली सरकार से ही हो गयी थी। एक ओर तो इस देश का संविधान इसके प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का हक बताता है, दूसरी ओर नियन्त्रण यानि वितरण का जिम्मा केन्द्रीय सत्ता को सौपता है। एक और योजना आयोग जैसी केन्द्रीय संस्था का अस्तित्व है जो शुरू से ही साम्राज्यवादी प्रभाव व दबाव वाली विकास योजनाओं को देश में लागू करता है, और दूसरी ओर संविधान है जो विकेन्द्रित विकास के लिए ग्राम पंचायतों जिला पंचायतों, नगर पालिकायों के अधिकार की बात करता है।

सिर्फ इतना ही नही 18 अप्रैल 2013 को वेदान्त के लिए ग्राम सभाओं से सहमति लेने का फैसला सुनाने वाली भारत की उच्चतम न्यायलय ने भी 1950 से 1970 के बीच अपने कई फैसलों में प्राकृतिक संसाधनों पर मिल्कियत के मामलें में 'एमिनेन्ट डोमेन' का सिद्धन्त स्थापित किया। यानि सम्प्रभु-सत्ता सरकार की होगी। रवि किरन जैन ने इस सम्बन्ध में अपने एक लिखित आलेख में एक केस का जिक्र किया है, जिसमें संर्वोत्तम न्यायालय ने यूरोप के सोलवी शताब्दी के राजनीतिज्ञ ह्रागों ग्रोशस को उदधृत करते हुए कहा है 'प्रजा की सम्पति राज्य की सम्प्रभु सत्ता (एमीनेन्ट डोमेन) के अधीन है। राज्य स्वंय या वह चाहे तो प्रजा को इसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है और चाहे तो उसे नष्ट भी कर सकता है।'

न्यायालयों की इस समझदारी और फैसलों ने साम्राज्यवादी कोर्पोरेट घरानों की मदद के लिए सरकारों को विकास के विनाशक रास्तें पर बढने के लिए प्रेरित किया। नतीजा हम सब के सामने है। स्थानीय निवासी और पंचायते मूक दर्शक है। और उन्हें विकास योजनाओं के नाम पर लगातार उजाड़ा जा रहा है। इस क्रम में मौजूदा पीढ़ीयों तो उजड़ ही रही है आगे वाली पीढ़ीयों को भी धरती के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। खेंतो को उजाड़ कर जिस तरह से शहरीकरण किया जा रहा है उसमें आने वाली पीढ़ीयों के लिए अनाज कहां से आयोगा, यह सोचना किसी केन्द्रीय योजना आयोग की सोच के बाहर है जबकी यह स्थानीय किसानों व

ग्राम सभाओं की सोच मे प्राकृतिक रूप् से उपस्थित है। मुआवजा के बल एक पीढ़ी को राहत पंहुचायी जा सकती है उसकी अगली पीढ़ियों को नही। यह स्थानीय लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार का सवाल है।

इस सम्बन्ध में यदि हम 18 अप्रैल के उच्चतम न्यायलय के फैसले को देखें, तो वह भी ग्राम सभाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में अपूर्ण और अपार्यप्त है।

सर्वोच्य अदालत ने वेदान्ता को ग्राम सभाओं से सहमति लेने के सन्दर्भ में कहा है कि नियामगिरि के पहाड़ो पर स्थानीय लोगों का सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार है। परन्तु ग्राम सभाओं के आर्थिक अधिकार को फैसले में इस दायरे से बाहर ही रखा गया है यानि यदि उस फैसले के आधार पर किसी दूसरे क्षेत्र की ग्राम सभाएं जिनका आर्थिक नुकसान अधिक महत्पूर्ण है, अधिग्रहण या कब्जे के खिलाफ अदालतों में जाती है तो इस फैसले के आधार पर उन्हे राहत मिलने वाली नहीं है।

इस फैसले के सन्दर्भ में ही थोड़ी चर्चा नये भूमि अधिग्रहण कानून की भी करना जरूरी है। क्योकि आने वाले इस कानून में किसी कॉपोरेट घराने का खेती योग्य, उपजाऊ, बहुफसली भूमि के अधिग्रहण की राह बेहद आसान होने वाली है। इसके लिए सिर्फ इन दानवाकार कापोरेट घराने के मुआवजे के रूप् में कुछ रकम, जो कि राज्य सरकार तय करेगी, जमा करनी होगी, और इस पर कब्जा उनका होगा। खेती और खाद्यान के विनाश का यह एक और बड़ा खतरनाक रास्ता खुलने जा रहा है। यह सीधे-सीधे 'एमीनेन्ट डोमेन' की विचारधारा को स्थापित करने का एक और रास्ता खुलने जा रहा है। यह सीधे - सीधे 'एमीनेन्ट डोमेन' की विचारधारा को स्थापित करने का एक और रास्ता है, जिसमें ग्राम सभाओं के बचेखुचे अधिकार भी छीन लियें जायेंगे। 100 एकड़ से कम जमीन के अधिकार भी छीन लिये जायेगें। 100 एकड़ से कम जमीन के अधिग्रहण के लिए तो अब पुनर्वास भी जरूरी नही होगा।

हालांकि यह नया बिल अधिग्रहण के अलावा मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की बहुत सारी लोकलुभावना बातें करता है पर इसका सार वही है जो 'एमीनेण्ट डोमेन' का है। उसी फैसले मे जिसमें सवौच्य न्यायालय ने ह्यूगो ग्रोशस को उदधृत किया था, दार्शनिक काण्ट को भी उदधृत कर किया, जिसके अनुसार ''राज्य में स्वाभाविक रूप से 'सम्प्रभु सत्ता' का निवास है वह प्रजा की संपत्ति है, बशर्ते उन्हें उचित मुआवजा दिया जाय।'' यह दर्शन हमारी सरकार को सूट करता है क्योकि जबरन अधिग्रहण की क्रूरता के साथ पुनर्वास का लोक लुभावन चेहरा भी है। इसीलिए वह 'अधिग्रहण होना चाहिए या नहीं की बहस से बाहर निकलकर उचित-अनुचित मुआवजे की राजनिति में लोगों का उलझाना चाहती है। पिछले कई सालों से अधिग्रहण के खिलाफ होने वाले आन्दोलेनो को तोड़ने के लिए भी वह इसी तरह की राजनीतिक गोटी खेलती रही है।

फिर भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूरे देश में आज जितनी तेजी से और जितना मजबूत आन्दोलन उठ रह है, यह फैसला उसी का नतीजा है। इन आन्दोलनों ने इस सवाल को सतह पर ला दिया, कि किसी क्षेत्र में विकास कैसा होगा, इसका फैसला स्थानीय लोगों को छोड़कर कैसे किया जा सकता है? उनकी अनुमती के बगैर कैसे किया जा सकता है? यह फैसला अधिग्रहण के खिलाफ होने वाले आन्दोलनों की एक छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण जीत है। परन्तु सरकारें अपने नख-दन्त और पैने कर रही है। जिसका एक उदाहरण आने वाला भूमि अधिग्रहण कानून है। स्थानीय निवासियों और संस्थाओं को छोड़कर विकास योजनाओं और भूमि अधिग्रहण, फिर उससे उठे आन्दोलनों से पूरे देश की जो स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में राज्य और प्रजा के बीच यह संघर्ष का मुख्य केन्द्र बनने वाला है। मौजूद फैसला इस संघर्ष का एक छोटा सा किन्तु महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।

साभार: दस्तक

नियमगिरी, सरकार और जनाक्रोश

उड़ीसा सरकार शुरू से ही वेदांता कंपनी के पक्ष में ग्राम सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी करती आ रही है जबकि स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, नदी, झरने पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं. अब 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉक्साइड के खनन के लिए वहाँ की ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी. इस आदेश के बाद से राज्य सरकार पहले के मुकाबले ज्यादा बर्बर तरीके से आदिवासियों को दबाने में लग गई है. पेश है नियमगिरी आंदोलन के अगुआ लिंगराज आजाद की यह रिपोर्ट

2003 में जब नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉक्साइड के खनन के लिए वहाँ की ग्राम सभा की गई थी उसी समय आदिवासियों ने इस परियोजना को अस्वीकार कर दिया था. 2010 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी रोक लगा दी गई परंतु उड़ीसा सरकार ने वेदांता कंपनी की बाक्साइट माइनिंग पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगायी गयी रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी । जिस पर 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉक्साइड के खनन के लिए वहाँ की ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी. राज्य सरकार शुरू से ही वहाँ की ग्राम सभा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगायी गयी रोक को नहीं मान रही थी उस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वहां निरपक्ष ग्राम सभा होने देगी. इन सभी सवालों को लेकर नियामगिरी सुरक्षा समिति द्वारा 17 मई से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया.

17 मई को मुनिगुडा, लांजीगढ़ और कल्याणसिंह पूरा से तकरीबन 200 गांवों के आदिसवासियों ने तीन समूहों में पदयात्रा की शुरुआत की जो नियामगिरी क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे के 130 गांवों से गुजरते हुए 22 मई को मुनिगुडा पहुचकर सभा में बदल गई. सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सरकार से मांग की गई कि-

- आज राज्य सरकार ने सीआरपीएफ के माध्यम से नियामगिरी पहाड़ पर माओवादियों को पकड़ने के नाम पर सर्च अभियान शुरू करवा रखा जिसका मकसद है वेदांता कंपनी के विरोध में बोलने वालो को माओवादी के नाम पर जेल में डालना. इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाये उसके बाद ही ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने 7 सप्ताह में ग्राम सभाओं का आयोजन करने का आदेश दिया परंतु राज्य सरकार अभी 7 सप्ताह की और मांग कर रही है जिसका हम विरोध करते है तथा ग्राम सभाओं का आयोजन 7 सप्ताह के अंदर ही किया जाये.
- अभी राज्य सरकार ने 12 गांवों को ही ग्राम सभा के लिए चिंहित किया है जिसका हम विरोध करते है. हमारी मांग है की नियामगिरी पहाड़ पर स्थित सभी गाँवों में ग्राम सभा हो, वह भी उनके गाँवों में ही.
- नियामगिरी पहाड़ के आस-पास जैसे– खाद्वामाली, सिजीमाली, पतानामाली और कत्रुमाली में जो माइनिंग हो रही है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाये क्योंकि इस माइनिंग का प्रभाव भी नियामगिरी पहाड़ पर पड़ रहा है.

पोस्को के खिलाफ काला दिवस

विगत 22 जून को एमओयू के आठ साल पूरा होने पर पोस्को के विरोध में जगतसिंहपुर से लेकर भुबनेश्वर तक कला दिवस मनाया गया और हजारों की संख्या में लोगों ने पोस्को के विरोध में रैली निकाली और एडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में पोस्को के जमीन अधिग्रहण को बंद करने, पोस्को परियोजना को रद करने, नियुक्ति विहीन उद्योग की जगह नियुक्ति आधारित उद्योग स्थापित करने, पोस्को के साथ हुए समझौते को रद करने, जबरन जमीन अधिग्रहण व पान बैरेज से हुई क्षति पर किसानों को मुआवजा देने तथा जमीन लौटाने की मांग शामिल है। विभिन्न संगठनों ने मांगे नहीं माने जाने पर पोस्को के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है।

विदित है कि 22 जून, 2005 को ओडिसा सरकार ने दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी के साथ एक 12 एम.टी.पी.ए. क्षमता का इस्पात प्लांट लगाने के लिए समझौता किया था। पांच साल बाद यानी वर्ष 2010 में यह एक्सपायर हो गया। यह प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार द्वारा बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ लोगों ने संघर्ष चलाया है। इस क्षेत्र के लोगों ने ऐलान किया कि उनका संघर्ष चलता रहेगा, किसान अपनी जमीन, अपने घर और अपनी रोज़ी-रोटी नहीं छोड़ेंगे।

राज्यपालों का बेगानापन

पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में संविधान में राज्यपालों के कर्त्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही उन्हें इन क्षेत्रों की देखरेख के लिए असीमित अधिकार भी दिए गए हैं। परंतु राज्यपाल इस दिशा में ठंडा रवैया बनाए हुए हैं और वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में दिनोंदिन असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों का मूल्यांकन करता सर्वोदय प्रेस सर्विस/डाउन टू अर्थ फीचर्स से *जितेंद्र का महत्वपूर्ण आलेख-*

भारत में जिन राज्यों में बड़ी संख्या में आदिवासी बसते हैं उन राज्यों के राज्यपालों पर उनकी विशिष्ट प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन न करने का आरोप लगाया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में आंशिक स्वायत्ता सुनिश्चित करने हेतु संविधान ने राज्यपालों को इन क्षेत्रों में शासन एवं प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण हेतु असीम शक्तियां प्रदान की हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन एवं विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी कानून या विकास गतिविधि की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं। वे सौहार्द्र बनाने एवं प्रभावशील शासन हेतु नियम भी बना सकते हैं।

राष्ट्रपति को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि ऐसे इलाके जो कि संविधान की पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित हैं और आदिवासियों के हितों की रक्षा करते हैं उस हेतु अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्यपालों को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। ये अनुशंसाएं तब आई हैं जबकि सरकार इन क्षेत्रों हेतु बड़ी मात्रा में धन का आवंटन कर रही है, इनमें से कई क्षेत्र माओवादी असंतोष से घिरे हुए हैं। गत जून में भेजी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यपालों के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें कि अधिसूचित क्षेत्रों हेतु नियत संवैधानिक प्रावधानों की वर्णित भावना के अनुरूप निगरानी एवं क्रियान्यवन किया जा सके। आयोग जो कि एक संवैधानिक इकाई है पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के मामलों में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजती है।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति जिन्हें स्वयं पांचवी अनुसूची क्षेत्र हेतु विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ने आदिवासी मामलों के मंत्रालय को यह रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैसे मंत्रालय को ही पता होगा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मंत्रालय के सहसचिव ए.के. दुबे का कहना है कि, "जटिल प्रक्रियाओं के कारण एवं हिंदी संस्करण की अनुपलब्धता के चलते हम इसे संसद में प्रस्तुत नहीं कर पाए।" लेकिन जटिल प्रक्रियाओं पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाए। सन् 2004 में अपने आरंभ के बाद से आयोग अब राष्ट्रपति को पांच रिपोर्ट भेज चुका है। पहली को छोड़कर एक भी रिपोर्ट अभी तक संसद के पटल पर नहीं रखी गई है।

सभी कानूनों की समीक्षा करें

नवीनतम रिपोर्ट में राज्यपालों द्वारा पांचवीं अधिसूचित में क्षेत्रों में हो रहे विकास की अनदेखी किए जाने को इंगित किया गया है। राज्यपालों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायती राज कानून जिसे पैसा पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम के नाम से जाना जाता है के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और ऐसे कानून जो इसके विरोध में हों उन्हें अलग करना। एक अधिसूचना के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद् की सलाह लिए बिना भी राज्य या केंद्र के नियमों को रद्द कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

लेकिन राज्यपालों की रिपोर्ट में शायद ही कभी खराब शासन, विद्रोह या विस्थापन का उल्लेख हुआ हो। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अंतिम आयुक्त बी.डी. शर्मा का कहना है, "जब तक राज्यपाल पांचवीं अनुसूची की आवश्यकताओं के हिसाब से कानूनों क्रियान्वयन या संशोधन नहीं चाहेगा, तब तक सभी कानून वहां स्वयं ही लागू रहते हैं।" चूंकि राज्यपाल अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में असफल रहे

हैं अतएव आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य कानून स्वयं लागू रहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप संघर्ष की स्थिति बन जाती है।

गोपनीय रिपोर्ट ने अधिसूचित क्षेत्र के अनुकूल बनाने हेतु सभी कानूनों की समीक्षा की अनुशंसा की है। राज्यपालों से उम्मीद भी की जाती है कि वे प्रतिवर्ष दिसंबर तक आदिवासी सलाहकार समिति के माध्यम से बैठक कर उसकी रिपोर्ट भेज दें। वरिष्ठ पत्रकार बी.जी. वर्गीस कहते हैं कि भारत सरकार ने मौन रखकर यह स्वीकार कर लिया है कि पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल का अर्थ है। "राज्यपाल परिषद्" जो कि अपने सलाहकारों की मदद से एवं सलाह पर कार्य करती है।" उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को इन इलाकों की स्थिति और उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप की रिपोर्ट भेजेंगे। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि आदिवासी मामलों का मंत्रालय राज्यपाल की नमूना रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने हेतु एक सा दस्तावेज जारी करें। इस दस्तावेज में संघीय एवं राज्य के कानूनों की समीक्षा का प्रावधान एवं आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु उनकी संवैधानिक प्रावधानों से संगति दर्शाने का प्रावधान भी हो। इसमें उन सभी कदमों की सूची भी होना चाहिए जिससे कि आदिवासियों के संवेधानिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई इन रिपोर्टों का कोई व्यवस्थित रिकार्ड भी मौजूद नहीं है। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल ने सूचना का अधिकार कानून के जरिए सन् 1990 से 2008 तक राज्यपालों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। परंतु आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने केवल सन् 2001 से यह कहते हुए रिपोर्ट दी कि इस मंत्रालय का गठन सन् 1999 में ही हुआ है।

सन् 2008 एवं 2011 में दिल्ली में राज्यपालों की बैठक में तत्कालीन राष्ट्रपति ने अनुरोध किया था कि वे आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में अपनी भूमिका पर ध्यान दें। अप्रैल 2012 में केंद्र सरकार ने पहली बार अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में उनके संवैधानिक कर्त्तव्यों को लेकरकर राज्यपालों को दिशा-निर्देश भी जारी किए।

केंद्रीय आदिवासी मामलों एवं पंचायतीराज मंत्री वी किशोरचंद्र देव ने आंध्रप्रदेश के राज्यपाल से कहा था कि वे अधिसूचित क्षेत्र में बाक्साइट खनन के लिए हुए सहमति पत्र (एमओयू) को रद्द कर दें, लेकिन राज्यपाल ने इस निर्देश की अनदेखी कर दी। आयोग की रिपोर्ट ने उस मुद्दे को आधिकारिक तौर पर उठा दिया है, जो कि काफी समय से अंदर पड़ा खदबदा रहा था।

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। जून माह से इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com